

21 वीं वार्षिक महासभा बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियमन, 1998 की विनियमन 56 के अनुपालन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के शेयरधारकों की **21वीं (इक्कीसवीं) वार्षिक महासभा बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, दिनांक 04 अगस्त, 2023 को प्रातः 11.00 बजे (आईएसटी) केंद्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक को अभिप्रेत स्थान) में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) सुविधा के माध्यम से निम्नलिखित कार्यों के लिए आयोजित की जाएगी:**

सामान्य कारोबार:

मद क्र. 1:

दिनांक **31 मार्च, 2023** के लेखापरीक्षित **स्टैंडअलोन एवं समेकित** तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के **स्टैंडअलोन एवं समेकित** लाभ व हानि लेखा, लेखों में कवर की गयी अवधि के लिए बैंक के कार्य एवं गतिविधियों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन पत्र और लेखों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर चर्चा, अनुमोदन एवं अभिग्रहण हेतु.

मद क्र. 2:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 10/- प्रति इक्विटी शेयर ₹ 3/- का लाभांश घोषित करने हेतु.

विशेष कारोबार :

मद क्र. 3

बासेल III के दिशानिर्देशों के अनुरूप नवीन इक्विटी शेयर जारी कर और/ या अतिरिक्त टियर-1 /टियर-2 पूंजी को जारी करने के माध्यम से बैंक के लिए पूंजी जुटाना

विचारोपरांत उचित पाये जाने पर आशोधनों सहित या रहित निम्नलिखित विशेष संकल्प पारित करना:

"संकल्प किया कि बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 ("अधिनियम") की धारा 3 (2बी) के प्रावधानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 ("योजना") के खंड 20 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 ("विनियमन") एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई"), भारत सरकार ("जीओआई"), भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड ("सेबी") और/ या इस संबंध में आवश्यक होने पर किसी अन्य प्राधिकारी के अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि

कोई हो, के अध्यक्षीन तथा उनके द्वारा अनुमोदन के लिये आवश्यक निर्धारित शर्तों, निबंधनों और संशोधनों तथा बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार तथा सेबी (पूंजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 [सेबी (आईसीडीआर) विनियमन] यथा संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 [सेबी (एलओडीआर) विनियमन] यथा संशोधित, सेबी (गेर-प्रवर्तनीय प्रतिभूति जारी करना एवं सूचीबद्ध करना) विनियमन, 2021 यथा संशोधित, विदेशी विनियम प्रबंधन [भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रतिभूति जारी या अंतरण] विनियमन, 2017, यथा संशोधित, आरबीआई, सेबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड अधिनियम, 1992 और अन्य सभी लागू विधियों और समय-समय पर अन्य सभी सक्षम प्राधिकारियों के अधिसूचनाओं/परिपत्रों एवं स्पष्टीकरणों एवं समरूप सूचीबद्धता समझौते के अधीन है. ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए समरूप, करारों के अनुसरण में, जहां बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, में दर्ज सूचीयन करार के अध्यक्षीन बैंक के सदस्यों की सहमति है और एतद्वारा बैंक के निदेशक मंडल (जिसे इसके बाद "बोर्ड" कहा जाएगा, जिसमें इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बोर्ड द्वारा गठित की गयी/ की जाने वाली समिति भी शामिल है) को एतद्वारा प्रदान की जाती है कि वह एक या एक से अधिक बार में निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि जो कि ₹ 10,100 करोड़ (रुपए दस हजार एक सौ करोड़ मात्र) से अधिक न हो की पूंजी का भारत या भारत के बाहर सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन (निश्चित आबंटन और/ या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित) प्रस्ताव दस्तावेज/प्रास्पेक्टस अथवा ऐसे किसी अन्य दस्तावेज के माध्यम से कर सकते हैं:

➤ ऐसे इक्विटी शेयर और/ अथवा अधिमान शेयर (चाहे संचयी या नहीं; इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय हो या नहीं), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार जिसमें अधिमान शेयरों की श्रेणी, ऐसे प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयर जारी करने की सीमा, बेमियादी अथवा प्रतिदेय, ऐसी प्रत्येक श्रेणी के अधिमान शेयरों को जारी किए जाने और/ या अनुमत प्रतिभूति जो इक्विटी में परिवर्तन के पात्र हैं और नकद में नहीं, के अधीन (चाहे बाजार दर, निर्गम दर या न्यूनतम दर से छूट या प्रीमियम पर हो) ₹ 8,000 करोड़ (रुपए आठ हजार करोड़ मात्र) के इक्विटी शेयर जो ₹ 6,834.74 करोड़ (रुपए छः हजार आठ सौ चौतीस करोड़ एवं चौहतर लाख मात्र), की विद्यमान पेड-अप इक्विटी शेयरपूंजी सहित बैंक के कुल ₹ 10,000 करोड़ (रुपए दस हजार करोड़ मात्र) की प्राधिकृत पूंजी के अधीन होंगे, जो इस धारा की 3(2ए) अथवा संशोधन (यदि कोई हो) जो भविष्य

में अधिनियम बन सकता है, के द्वारा बढ़ाई गई सीमा के अंदर हो तथा, इसमें जो भी अधिक है, इस प्रकार की भारत सरकार की अंशधारिता बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो.

- निजी स्थानन/सार्वजनिक निर्गम आधार में एक या अधिक बार में ऐसी संस्था के स्थायी ऋण लिखतों, गौण ऋण पत्रों को शामिल करते हुए लेकिन इन तक ही सीमित न रहते हुए ₹ 2,100 करोड़ (रुपए दो हजार एक सौ करोड़ मात्र) तक की राशि से अधिक न हो, के लिए अपरिवर्तनीय ऋण, बॉन्ड और/ या अन्य ऋण प्रतिभूतियों, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चिन्हित या वर्गीकृत टियर I या टियर II पूंजी (ग्रीन विदेशी मुद्रा नामित अतिरिक्त टियर I या टियर II बॉन्ड) के लिए वर्गीकृत किया जा सकता है.

एक अथवा अधिक सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, भारतीय नागरिकों, अनिवासी भारतीयों ("एनआरआई"), निजी अथवा सार्वजनिक कंपनियों, विनिवेश संस्थाओं, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) समितियों, न्यासों, शोध संस्थानों, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं ("क्यूआईबी"), विदेशी संस्थागत निवेशकों ("एफआईआई"), विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ("एफपीआई"), बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, भारतीय म्युचुअल फंडों, वैकल्पिक निवेश निधि, उद्यम पूंजी निधियों, विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों, राज्य औद्योगिक विकास निगमों, बीमा कंपनियों, भविष्य निधियों, पेंशन निधियों, विकास वित्त संस्थाओं या अन्य इकाइयों, प्राधिकरणों या अन्य किसी संवर्ग के निवेशकों, जो विद्यमान विनियमों/ दिशानिर्देशों या उपर्युक्त दोनों के किसी संयोजन, जिसे बैंक द्वारा उचित समझा जाए, के अनुसार बैंक के इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में निवेश करने हेतु पात्र हैं, को पूंजी का सृजन, प्रस्ताव, निर्गम और आबंटन निश्चित आबंटन और/या निर्गम का ऐसा भाग और ऐसे संवर्ग के व्यक्तियों, जो उस समय लागू नियमों के तहत अनुमत हों, को आरक्षित प्रावधानों सहित किया जाए".

"पुनः संकल्प किया कि इक्विटी/अधिमान शेयर प्रतिभूतियों का ऐसा निर्गम, ऑफर या आबंटन अर्हता प्राप्त संस्थागत (क्यूआईपी); आगे सार्वजनिक प्रस्ताव, फॉलोऑन पब्लिक निर्गम, अधिकार निर्गम, एडीआर-जीडीआर, इक्विटी/अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर का निजी प्लेसमेंट, एम्लॉयी स्टॉक ऑप्शन स्कीम या बैंक के एम्लॉयी स्टॉक पर्वेस स्कीम, या इनके समूहित रूप निर्गम के ऐसे अन्य माध्यम जैसे कि लागू विधि के अनुसार आबंटन सहित या बिना अधि-आबंटन या ग्रीन शू विकल्प सहित या रहित के जरिये प्रदान किया होगा तथा ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, इक्विटी / अधिमान शेयर/प्रतिभूतियों का स्थापन या आबंटन, अधिनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, सेबी आईसीडीआर विनियमन तथा भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी या अन्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा जारी सभी अन्य पात्र दिशानिर्देशों और ऐसे समय या समयों पर इस प्रकार तथा ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर, जिन्हें बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेक से उचित समझा जाए, के प्रावधानों के अनुसार किया जाए."

"पुनः संकल्प किया कि उपर्युक्त निर्गम(मों) के संबंध में ऐसी कीमत या कीमतों को तय करने का समस्त प्राधिकार बोर्ड के पास होगा जो सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों, में संबद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की गई कीमतों से कम न हों, तो लीड मैनेजरों और/ या हामीदारों और/ या अन्य परामर्शदाताओं और/या इस प्रकार के नियम व शर्तों के अनुसार जो बोर्ड अपने पूर्ण विवेकानुसार सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों, अन्य विनियमनों और किसी अन्य और लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों, और/या चाहे प्रस्तावित निवेशक बैंक के विद्यमान शेयरधारक हैं या नहीं."

"पुनः संकल्प किया कि संबंधित शेयर बाजार के साथ किए गए लिस्टिंग के प्रावधानों, विनियमनों, अधिनियम के प्रावधानों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बँटक) विनियमन 1998 के प्रावधानों, सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के प्रावधानों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण व निर्गम) विनियमन, 2017 के प्रावधानों तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), शेयर बाजार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (डीपीआईआईटी), वित्त मंत्रालय तथा अन्य सभी अपेक्षित प्राधिकारी वर्ग (जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप में "सम्यक प्राधिकारी" कहा जाएगा) तथा उपर्युक्त में से किसी के भी द्वारा इस प्रकार का अनुमोदन, सहमति, अनुमति और/ या मंजूरीयां (जिन्हें इसके बाद अपेक्षित अनुमोदन कहा जाएगा) प्रदान करते समय निर्धारित की जाने वाली शर्तों के अध्याधीन बोर्ड, स्थापन दस्तावेज और/ या ऐसे अन्य दस्तावेजों/ लेखों/ परिपत्रों/ ज्ञापनों के जरिये तथा समय-समय पर एक या अधिक अवसरों पर अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) (जिन्हें आईसीडीआर विनियमन के अध्याय I में परिभाषित किया गया है), को अर्हता प्राप्त संस्थागत स्थापन (क्यूआईपी), जैसा कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों के अध्याय VI में उल्लेख है, के अनुसार सेबी आईसीडीआर विनियमनों के या उस समय प्रचलित कानूनों के अन्य प्रावधानों के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों एवं निबंधनों के तहत ऐसे मूल्य एवं तरीके से इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों (वारंटों को छोड़कर), जो बाद में इक्विटी शेयरों के बदले परिवर्तनीय हैं, का बोर्ड अपने सम्यक विवेक से इस प्रकार सृजन, प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन कर सकता है कि किसी भी समय भारत के केंद्र सरकार की धारिता बैंक की इक्विटी पूंजी के 51% से कम न हो."

"पुनः संकल्प किया कि सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अध्याय VI के अनुसार पात्र संस्थागत स्थापन के मामले में:

- ए) प्रतिभूतियों का आबंटन केवल सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, के अध्याय I के अन्तर्गत परिभाषित पात्र संस्थागत क्रेताओं को ही किया जाएगा. ये प्रतिभूतियां पूर्णतः प्रदत्त होंगी तथा ऐसी प्रतिभूतियों का आबंटन इस संकल्प की तिथि से 365 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाएगा.

बी) सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के विनियमन 176 (1) के प्रावधान के अनुक्रम में बैंक, सेबी (आईसीडीआर) विनियमनों द्वारा निर्धारित आधार मूल्य से अधिकतम 5 प्रतिशत से अनधिक छूट पर शेयर का प्रस्ताव देने हेतु अधिकृत है।

सी) प्रतिभूतियों का आधार मूल्य निर्धारित करने हेतु संबद्ध तारीख, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन के अनुसार होगी।

“पुनः संकल्प किया कि भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड/ स्टॉक एक्सचेंज, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या इस संबंध में बोर्ड द्वारा दी गयी सहमति के अनुसार निर्गम, आबंटन एवं लिस्टिंग के अनुमोदन, सहमति, अनुमति एवं मंजूरी प्रदान करते समय ऐसे अन्य उपयुक्त प्राधिकारियों के द्वारा संशोधित जैसा भी आवश्यक या लागू हो, को स्वीकार करने का बोर्ड को अधिकार होगा।”

“पुनः संकल्प किया कि एनआरआई/एफआईआई और/या अन्य पात्र विदेशी निवेशों को नये इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों, यदि कोई है, का निर्गम और आबंटन, लागू विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन द्वारा किन्तु अधिनियम एवं अन्य विनियामकों, यथा लागू द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के अध्यक्षीन होगा।”

“पुनः संकल्प किया कि जारी किये जाने वाले कथित इक्विटी शेयर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 समय-समय पर यथा संशोधित (विनियमन) के अध्यक्षीन तथा बैंक के मौजूदा शेयरों के समरूप होंगे एवं लाभांश की घोषणा के समय प्रभावी सांविधिक दिशानिर्देशों के अनुरूप लाभांश, यदि कोई है, के लिये पात्र होंगे।”

“पुनः संकल्प किया कि निर्गमित इक्विटी शेयरों को, स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां बैंक के वर्तमान इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं।”

“पुनः संकल्प किया कि इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम या आबंटन करने के लिये बोर्ड को निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले शेयरों/ प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, सहित सार्वजनिक निर्गम की शर्तें निर्धारित करने तथा ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई, मामले और काम निपटाने तथा ऐसे कार्य, दस्तावेज एवं करार निष्पादित करने, जिसे वह अपने विवेकानुसार आवश्यक, उचित एवं वांछनीय समझे तथा इक्विटी शेयरों के प्रस्ताव, निर्गम एवं आबंटन तथा निर्गम राशि के उपयोग करने के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने या उन्हें निपटाने के अनुदेश या निर्देश जारी करने तथा अपने पूर्ण विवेक से बैंक के सर्वोत्तम हित में ठीक एवं उचित माने जाने वाले निबंधनों व शर्तों, जो भी हों, में ऐसे संशोधन, परिवर्तन, फेरबदल, विलोपन तथा परिवर्धन आगे शेयरधारकों की कोई

और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये, इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

“पुनः संकल्प किया कि बोर्ड यथा आवश्यक इक्विटी/प्रतिभूतियों के प्रस्ताव के लिये बुक रनर (रॉ), लीड मैनेजर (रॉ), बैंकर्स, अभिगोपक (कों), डिपॉजिटरी (रियों), रजिस्ट्रार (रॉ), लेखापरीक्षक (कों) तथा अन्य ऐसी एजेंसी, जो इक्विटी शेयरों एवं प्रतिभूतियों के प्रस्ताव संबंधी कार्य में शामिल हों, को कमीशन, दलाली, शुल्क या ऐसे अन्य प्रभार के भुगतान हेतु ऐसी एजेंसियों के साथ इस प्रकार की सभी व्यवस्थाओं, करारों, ज्ञापनों, दस्तावेजों आदि को निष्पादित करने के लिये बोर्ड को अधिकृत किया जाय एवं एतद्वारा ऐसा किया जाता है।”

“पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये लीड मैनेजरों, अभिगोपकों, परामर्शदाताओं और/ या बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों के परामर्श से बोर्ड को निर्गम की शर्तें निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं किया जाता है, जिसमें निवेशक संवर्ग, जिन्हें प्रतिभूतियां आबंटित की जानी हैं, का निर्धारण, प्रत्येक अवसर पर आबंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य (प्रीमियम सहित, यदि कोई हो), अंकित मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम राशि/ प्रतिभूतियों का कंवर्जन/ वारंट की प्रक्रिया/ प्रतिभूतियों का शोधन (रिडेम्शन), ब्याज दर, शोधन अवधि, प्रतिभूतियों के परिवर्तन या शोधन या निरस्तीकरण पर इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों की संख्या, इक्विटी शेयरों या अन्य प्रतिभूतियों के निर्गम/ कंवर्जन पर प्रीमियम या छूट, ब्याज दर, कंवर्जन की अवधि, रिकार्ड तिथि या बुक क्लोजर एवं अन्य संबंधित प्रासंगिक मामलों का निर्धारण, भारत और/या विदेश में एक या अधिक शेयर बाजारों में लिस्टिंग, जिसे बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से उचित समझे, आदि शर्तों का निर्धारण शामिल है।”

“पुनः संकल्प किया कि ऐसे उपरोक्त प्रतिभूतियां, जो अभिदत्त नहीं हुए हैं, को बोर्ड अपने सम्यक विवेक, जिसे बोर्ड उचित समझे तथा विधि सम्मत तरीके से निस्तारित कर सकता है।”

“पुनः संकल्प किया कि उक्त संकल्प को प्रभावी करने के लिये बोर्ड द्वारा ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से उचित समझे तथा शेयरों/प्रतिभूतियों के निर्गम के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी प्रश्न, कठिनाई या शंका का समाधान करने, पुनः ऐसे सभी कार्य, कृत्य, मामले व चीजें निपटाने, सभी आवश्यक, वांछनीय एवं उचित दस्तावेज व ज्ञापनों को निष्पादित करने, जिन्हें बोर्ड अपने सम्यक विवेक से ठीक, उचित एवं वांछनीय समझे, को आगे शेयरधारकों की कोई और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना स्वीकार करने के लिये इस संकल्प द्वारा बैंक तथा बोर्ड को दिये गये किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड को अधिकृत माना जाए तथा एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।”

“पुनः संकल्प किया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इसमें प्रदत्त सभी प्राधिकार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या कार्यपालक निदेशक/निदेशकों की समिति को पूंजी निधि एकत्रित करने हेतु अधिकृत किया जाए एवं एतद्वारा किया जाता है.”

मद क्र. 4 :

श्री लक्ष्मण एस उप्पर (डीआईएन: 02453845) की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति.

विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना :

“संकल्प किया गया है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 के विनियमन 25(2ए) और विनियमन 17 (1सी) के पहले प्रावधान, यथा संशोधित, को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के साथ पढ़ा जाए एवं भारत सरकार की अधिसूचना एफ. सं. 6/6/2021-बीओ.1 दिनांक 21 मार्च, 2022 के जरिए बैंक में श्री लक्ष्मण एस उप्पर को अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामांकन अधिसूचना की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए अर्थात् 21 मार्च 2022 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है.”

मद क्र. 5 :

श्री श्रीनिवासन वरदराजन (डीआईएन: 00033882) की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक एवं गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति.

विशेष संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना :

“संकल्प किया गया है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 के विनियमन 25(2ए) और विनियमन 17 (1सी) के पहले प्रावधान, यथा संशोधित, को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के साथ पढ़ा जाए एवं भारत सरकार की अधिसूचना एफ. सं. 6/9/2022-बीओ.1 दिनांक 07 नवंबर, 2022 के जरिए बैंक में श्री श्रीनिवासन वरदराजन को अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक एवं गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नामांकन अधिसूचना की तिथि से तीन साल की अवधि के लिए अर्थात् 07 नवंबर, 2022 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है.”

मद क्र. 6 :

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री निधु सक्सेना (डीआईएन: 09691292) की नियुक्ति

सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना :

“संकल्प किया गया है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के पहले प्रावधान, यथा संशोधित, को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पढ़ा जाए एवं भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/2/2021-बीओ.1 दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के जरिए बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री निधु सक्सेना की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् 1 फरवरी, 2022 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है.”

मद क्र. 7 :

बैंक की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में सुश्री ए. मणिमेखलै (डीआईएन: 08411575) की नियुक्ति

सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करना :

“संकल्प किया गया है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के पहले प्रावधान, यथा संशोधित, को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पढ़ा जाए एवं भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/4/2021-बीओ.1 दिनांक 3 जून, 2022 के जरिए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में सुश्री ए. मणिमेखलै की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् 3 जून, 2022 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है.”

मद क्र. 8 :


बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री रामसुब्रमणियन एस. (डीआईएन: 08747165) की नियुक्ति

सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधन के साथ या बिना

संशोधन के पारित करना :

“संकल्प किया गया है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (1सी) के पहले प्रावधान, यथा संशोधित, को बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के साथ पढ़ा जाए एवं भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.सं. 4/6/2021-बीओ.1 दिनांक 21 नवम्बर, 2022 के जरिए बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में श्री राम सुब्रह्मण्यम की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अर्थात् 21 नवम्बर, 2022 से तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों पर एतद्वारा अनुमोदित किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया



(एस.के. दास)
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई

दिनांक :23.06.2023

नोट्स**1. व्याख्यात्मक विवरण**

बैठक के कारोबार के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य युक्त व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक का संचालन

ए) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (“एमसीए परिपत्र”) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र क्र.10/2022, दिनांक 28 दिसंबर, 2022 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (“सेबी परिपत्र”) द्वारा जारी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/सीएफ़डी/पीओडी-2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023, एवं सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 (“सूचीबद्धता विनियमन”), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के संप्रेषण क्र. एफ़.क्र.7/47/2020-बीओए दिनांक 10 जुलाई, 2020 और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की वार्षिक महासभा बैठक (एजीएम) का संचालन वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से किया जाए, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर सभी सदस्यों की व्यक्तिगत रूप से उपस्थिति

की आवश्यकता नहीं होगी। वार्षिक महासभा बैठक के लिए विचारणीय स्थान मुंबई में स्थित बैंक का केंद्रीय कार्यालय होगा। कारोबार मद क्र. 3 से 8 में वर्णित विशेष कारोबार अपरिहार्य होने के कारण 21वीं एजीएम में वीसी/ओएवीआईएम के माध्यम से संचालित किया जाएगा।

बी) बैंक एमसीए परिपत्र में वर्णित सभी प्रावधानों का अनुपालन एवं पालन कर रहा है। बैंक ने वीसी/ओएवीएम कनेक्शन में तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। बैंक ने बैठक की समग्रता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समुचित सुरक्षा अपनाई है।

सी) केफिन टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड (केफिनटेक) ने वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग करने के लिए रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

डी) एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के अनुसार, वार्षिक महासभा बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in, बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com, भारतीय राष्ट्रीय शेयर बाजार लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com और साथ ही केफिनटेक की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

ई) चूंकि वार्षिक महासभा बैठक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित की जाएगी, इस कारण रूट मैप इस सूचना में संलग्न नहीं होगी, जैसा कि भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालय मानक 2 के अंतर्गत अपेक्षित है।

एफ) सभी सदस्य वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित इस वार्षिक महासभा बैठक में नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के माध्यम से जुड़ सकते हैं जो कि वार्षिक महासभा बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 15 मिनट पहले अर्थात् 10.45 [आईएसटी] पूर्वाह्न से खुली रहेगी और बैंक वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित में वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने के लिए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय के 30 मिनट बाद विंडो बंद कर सकती है। वीसी/ओएवीएम में जुड़ने के लिए नोटिस पैरा क्र. 16(vii) (ए), (बी) एवं (सी) में वर्णित विवरणों के साथ <https://emeetings.kfintech.com> में कृपया जुड़ें। बैठक के दौरान या उससे पहले तकनीकी से संबंधित किसी भी सहायता के लिए हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1800 309 4001 का उपयोग किया जा सकता है।

जी) सदस्य नोट करें कि केफिनटेक द्वारा प्रदत्त वीसी/ओएवीएम सुविधा में द्विपक्षीय कॉन्फ्रेंसिंग एवं साथ ही प्रश्न पूछने के लिए पहले-आओ-पहले-पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों की सहभागिता की अनुमति होगी. बड़े शेयरधारकों (अर्थात ऐसे शेयरधारक जिनके पास 2% या इससे अधिक का शेयर होगा), प्रमोटर, संस्थागत निवेशकों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा-परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति एवं शेयरधारक संबंध समिति, लेखा-परीक्षक, संवीक्षक आदि पहले-आओ-पहले-पाओ सिद्धान्त के कारण बिना किसी बाधा के वार्षिक महासभा बैठक में शामिल हो सकते हैं. संस्थागत निवेशक जो बैंक के सदस्य हैं, को वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 21वीं वार्षिक महासभा बैठक में शामिल होने और वोट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

एच) वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से संचालित वार्षिक महासभा बैठक में शामिल सदस्यों की उपस्थिति की गिनती कोरम का अनुमान लगाने के उद्देश्य से की जाएगी.

आई) चूंकि एजीएम, वीसी/ओएवीएम के जरिए आयोजित की जाती है. अतः सदस्यों की भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है और एमसीए परिपत्र के अनुसरण में बैंक द्वारा कोई प्रोक्सी स्वीकृत नहीं की जाएगी.

जे) वार्षिक महासभा बैठक से पहले स्पीकर शेयरधारक का पंजीकरण रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अधिकतम बुधवार, 02 अगस्त, 2023 को शाम 5 बजे तक किया जा सकता है. स्पीकर के रूप में पंजीकृत होने के इच्छुक शेयरधारकों से निवेदन है कि वे ई-वोटिंग लॉगिन विवरणों का उपयोग करके <https://emeetings.kfintech.com> पर जाएं और इस अवधि के दौरान स्पीकर पंजीकरण पर क्लिक करें. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक महासभा बैठक के दौरान प्रश्नोत्तर सत्र और समन्वय के समय बैठक के अध्यक्ष द्वारा बुलाए जाने तक अपनी बारी आने का इंतजार करें. बैंक स्पीकर सत्र को समाप्त या रोक सकती है; इसलिए, शेयरधारकों को सूचना पैरा सं. 14 में प्रदत्त, अग्रिम रूप से अपने पंजीकृत ई-मेल पता से अपना नाम, डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी नंबर/ फोलिओ नंबर तथा मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रासंगिक प्रश्न इत्यादि investorservices@unionbankofindia.bank भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. बैठक के दौरान सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्न पर कार्रवाई की जाएगी एवं बैंक द्वारा उचित रूप से प्रतिउत्तर

दिया जाएगा. हालांकि, यह निवेदन किया जाता है कि बैठक के दौरान प्रश्न ठीक और संक्षेप रूप से किये जाएं ताकि हम उनका उत्तर दे पाएं.

के) वे शेयरधारक जिन्होंने अपना ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं किया है, वे वेबलिनक: <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx> में अपनी ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करने के बाद वार्षिक महासभा बैठक में भाग ले सकते हैं.

एल) भौतिक रूप से धारित शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कटऑफ तिथि अर्थात **शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023** से पहले बैंक विवरण, ईमेल एड्रेस, पते में बदलाव आदि को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट मेसर्स डाटामैटिक्स बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड को प्रस्तुत करें, ताकि इसे नोट किया जा सके. इलेक्ट्रॉनिक रूप से धारित शेयर धारक सदस्यों के संबंध में, उपर्युक्त तिथि की समाप्ति पर डिपॉजिटरी द्वारा प्रदत्त ब्यौरे पर बैंक द्वारा विचार किया जाएगा. इसलिए, शेयर धारित सदस्य नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भेजने के लिए यथाशीघ्र अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करेंगे.

3. परोक्षी की नियुक्ति

एमसीए के परिपत्रों के क्रम में, चूंकि सदस्यों की भौतिक उपस्थिति को समाप्त कर दिया गया है, अतः परोक्षी की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होगी. तदनुसार, वार्षिक महासभा बैठक के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन 1998 के विनियमन 70(vi) के अंतर्गत सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी. इस कारण, परोक्षी की नियुक्ति के संबंध में लिखत एवं उपस्थिति स्लिप को इसके साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है. तथापि, रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोटिंग, वीसी/ओएवीएम सुविधा द्वारा संचालित वार्षिक महासभा बैठक में सहभागिता तथा वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग के उद्देश्य से सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है.

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

कंपनी या कोई निकाय, निगम, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, बैठक में उपस्थित रहने या वोट देने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने का संकल्प उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित सत्य प्रति, जिसमें वह संकल्प पारित किया गया हो, को mail@csraginichokshi.com पर बैठक की तिथि से कम से

कम चार दिन पूर्व अर्थात् बैंक की कार्य-समाप्ति अवधि तक या उससे पूर्व अर्थात् **शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को शाम 5.00 बजे तक** प्रेषित किया जाना चाहिए।

5. बुक क्लोजर

बैंक के शेयरधारकों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही, एजीएम के लिए तथा लाभांश के भुगतान, यदि शेयरधारकों द्वारा घोषित किया जाता है, के लिए **शनिवार 29 जुलाई, 2023 से शुक्रवार, 04 अगस्त, 2023** (दोनों दिनों को मिलाकर) तक बंद रहेगी।

6. अदावाकृत / अदत्त लाभांश, यदि कोई हो

ऐसे शेयरधारक, जिन्होंने पिछली अवधि के अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं कराया है/ लाभांश वारंट प्राप्त नहीं किया है, यदि कोई है, तो उनसे अनुरोध है कि वे अदत्त लाभांश के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए) से उक्त पते पर अथवा निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क करें।

शेयरधारकों से यह ध्यानपूर्वक नोट करने का अनुरोध है कि बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार लाभांश घोषित होने की तिथि के 30 दिनों तक लाभांश अदावाकृत/ अदत्त रहने पर 30 दिन की निर्धारित अवधि समाप्त होने के 7 दिनों के अंदर उन्हें "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित कर दिया जायेगा।

उक्त "अदत्त लाभांश खाते" में अंतरित राशि, अंतरण की तिथि से सात वर्षों तक अदावाकृत/ अदत्त रहने पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के अन्तर्गत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को अंतरित की जानी अपेक्षित है। बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2014-15 तक के अदत्त लाभांश को आईईपीएफ में पहले ही अंतरित किया जा चुका है।

7. पता/ बैंक विवरण/ बैंक खाता अधिदेश/ नामांकन का परिवर्तन

सदस्यों से अनुरोध है कि उनके नाम, पोस्टल पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिशेषों, नामांकनों, मुखारनामा, बैंक विवरणों जैसे बैंक का नाम तथा शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या, एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड, आदि में परिवर्तन, यदि कोई हो, को सूचित करें।

ए. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में धारित शेयर के लिए : डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) हेतु

बी. भौतिक फॉर्म में धारित शेयर के लिए: बैंक/बैंक के रजिस्ट्रार तथा अंतरण एजेंट (आरटीए) हेतु निर्धारित फॉर्म **आईएसआर-1** में तथा सेबी परिपत्र क्र. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी/आरटीएमबी/पी/सीआईआर/2021/655 दिनांक 03 नवंबर, 2021 में निर्दिष्ट अन्य फॉर्म. बैंक ने वांछित विवरणों को प्रदत्त करने के लिए कारोबार रिप्लाइ एनवेलप (बीआरई) सहित पत्रों को भेजा है।

सी. उक्त सेबी परिपत्र के प्रावधानों के अनुरूप, सदस्यों द्वारा धारित शेयरों के संबंध में नामांकन करने की सुविधा उपलब्ध है. जिन सदस्यों ने अपना नामांकन पंजीकृत नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि **फॉर्म नं. एसएच-13** जमा कर इसे पंजीकृत करें. यदि कोई सदस्य अपना नामांकन वापस लेना चाहता है या पूर्ववर्ती नामांकन को रद्द करना चाहता है तथा नवीन नामांकन रिकॉर्ड करना चाहता है, वह **फॉर्म आईएसआर-3 या एसएच-14**, जैसा भी मामला हो, में इसे जमा कर सकते हैं. सदस्यों से अनुरोध है कि यदि सदस्यों द्वारा धारित शेयर अमूर्तीकृत रूप में हैं तथा बैंक के आरटीए में शेयरों के भौतिक रूप में धारित किए जाने की स्थिति में, उक्त विवरणों को उनके डीपी में प्रस्तुत करें.

बैंक के आरटीए का पता:

केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड.

यूनित: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
सेलेनियम, टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्च्यीबावली,
फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानक्रमगुडा
हैदराबाद 500 032
दूरभाष.: 040-67162222.

डी. उपरोक्त वर्णित फॉर्म बैंक के वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/important-announcement-to-physical-shareholders.aspx में उपलब्ध हैं.

ई. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों को बैंक को या बैंक के आरटीए के स्थान पर केवल उनके संबंधित डिपोजिटरी प्रतिभागी को पते में परिवर्तन करने का सुझाव भेजना चाहिए.

एफ. शेयरधारकों से अनुरोध है कि बैंक या बैंक के आरटीए से किसी संप्रेषण में सदा उनके संबंधित फोलियो नंबर/

नंबरों (भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले) तथा उनके संबंधित डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी नंबर (इलेक्ट्रॉनिक/डीमैट रूप में धारित करने वाले) का उल्लेख करें।

8. निवेशक सेवा अनुरोध और शेयरों के हस्तांतरण जारी करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकरण के मामले में अमूर्तीकृत रूप में प्रतिभूतियों को जारी करना

सदस्य कृपया यह नोट करें कि सेबी ने अपने परिपत्र क्र सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी_आरटीएमबी/पी/सीआईआर/2022/8 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के माध्यम से निम्न सेवा अनुरोध को प्रसंस्कृत करने के दौरान पुष्टिपत्र के जरिये केवल अमूर्तीकृत रूप में सूचीबद्ध ईकाइयों को प्रतिभूतियां जारी करने को अधिदेशित किया है।

- अनुलिपि प्रतिभूतियाँ प्रमाणपत्र जारी करना;
- अदावाकृत उचंत खाते से दावा;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का नवीकरण/ विनिमय;
- पृष्ठांकन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/ विभाजन;
- प्रतिभूति प्रमाणपत्र / फोलियो का समेकन;
- प्रेषण तथा प्रतिस्थापन।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त सेवा अनुरोध के लिए फॉर्म आईएसआर -4 को विधिवत भर कर तथा हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करें, जिसका प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in/english/issuance-securities.aspx में उपलब्ध है। यह नोट किया जाए कि कोई भी सेवा अनुरोध केवाईसी शिकायत होने पर ही प्रसंस्कृत किया जा सकता है। शेयरधारकों से भी अनुरोध है कि शेयरों के हस्तांतरण एवं डुप्लीकेट प्रतिभूति प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रक्रियाओं के सरलीकृत प्रक्रियाओं का पालन करें।

9. स्थिति में परिवर्तन की रिकॉर्डिंग

अनिवासी भारतीय शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित के बारे में बैंक के आरटीए- केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड को तत्काल सूचित करें:

- ए. स्थायी निवास हेतु भारत में वापसी पर निवासी स्थिति में परिवर्तन।
- बी. भारत में संचालित बैंक खाते का पूर्ण विवरण यथा पूरा नाम, शाखा, खाते का स्वरूप, खाता संख्या तथा बैंक का

पता, पिन कोड सहित आदि, यदि पहले न दिया गया हो।

10. वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां

प्राधिकारियों द्वारा अनुमत के अनुरूप, वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 की प्रतियाँ भौतिक रूप में प्रेषित नहीं की जाएंगी तथा यह ई-मेल के माध्यम से केवल उन शेयरधारकों को भेजी जाएंगी जिन्होंने बैंक या डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपने ई-मेल आईडी को पंजीकृत किया है। वार्षिक रिपोर्ट बैंक के वेबसाइट तथा शेयर बाजार में भी अपलोड किया जाएगा। ईमेल आईडी को अद्यतन करने हेतु शेयरधारक भौतिक शेयर के मामले में रजिस्ट्रार तथा शेयर अंतरण एजेंट या डीमैट रूप शेयर के मामले में डिपॉजिटरी प्रतिभागी से संपर्क कर सकते हैं।

11. कट ऑफ तिथि

ई-वोटिंग के लिए:

कंपनी [प्रबंधन एवं प्रशासन] नियम, 2014 के नियम 20, यथा संशोधित, के अनुसार कारोबार मद क्र. 1 से 8 के संबंध में शेयरधारकों के वोटिंग अधिकारों को **शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023** को मान्यता दी जाएगी।

12. लाभांश का भुगतान

यदि लाभांश, निदेशक मण्डल द्वारा संस्तुत के अनुरूप, एजीएम में घोषित होता है, तो स्ट्रोत पर कर की कटौती के अधीन ऐसे लाभांश का भुगतान **बुधवार, 9 अगस्त, 2023** से निम्न के अनुसार किया जाएगा:

- नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") तथा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") संयुक्त रूप से डिपॉजिटरी के पास **शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023** के अंत तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अमूर्तीकृत रूप में धारित शेयरों के संबंध में सभी लाभप्रद स्वामियों को लाभांश का भुगतान किया जाएगा।
- उन सभी सदस्यों को जिनके पास बैंक के शेयर भौतिक रूप में उपलब्ध है और उन्होंने वैध प्रेषण या प्रतिस्थापन अनुरोध को **शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023** को कारोबार अवधि की समाप्ती तक बैंक के साथ दर्ज किया है।

वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से शेयरधारकों के लिए लाभांश आय कर योग्य होगा तथा बैंक को प्रति शेयर धारक आधार पर ₹ 5000 से अधिक राशि के लाभांश

पर पैन आधार पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश पर 'स्रोत पर कर' की कटौती करने की आवश्यकता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। शेयरधारकों से निवेदन है कि वे वेध पैन को डीपी (यदि शेयर डीमैट रूप में धारित है) और बैंक / बैंक के आरटीए (यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है) के साथ अद्यतित करें।

13. वोट देने का अधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उप धारा (2ई) के प्रावधानों के अनुसार, इस समय केंद्र सरकार के अलावा, संपर्की नए बैंक का कोई भी शेयरधारक, बैंक के सभी शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार के दस प्रतिशत से अधिक के उसके द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के संबंध में वोट देने का अधिकारी नहीं होगा।

उपर्युक्त के अधीन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन, 1998 के विनियमन 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक, जो कट ऑफ तारीख अर्थात् शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत है, प्रत्येक शेयर के लिये एक वोट देने का अधिकारी होगा/ होगी।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर तथा बैठक) विनियमन 1998 के विनियमन 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम पंजीकृत है, तो रजिस्टर में जिसका नाम प्रथम स्थान पर अंकित होगा, वह वोट देने के लिए, उसका अकेला धारक माना जायगा। इस प्रकार यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है, तो केवल प्रथम नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का अधिकारी होगा और वही वोट देने का अधिकारी भी होगा।

14. लेखों एवं इससे संबद्ध अन्य शंकाओं के संबंध में जानकारी

जो शेयरधारक लेखों एवं इससे संबद्ध अन्य शंकाओं पर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं उनसे, अनुरोध है कि वे बैंक को investorservices@unionbankofindia.bank पर मेल करें, जो वार्षिक साधारण बैठक की तारीख के पूर्व बैंक को 02 अगस्त, 2023 को शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए ताकि प्रबंधन द्वारा यह सूचना तैयार रखी जा सके। जवाब केवल एजीएम के दौरान ही दिए जाएंगे। कृपया नोट करें कि केवल उन्हीं सदस्यों के प्रश्नों के जवाब किए जाएंगे जो कट-ऑफ तारीख यथा 28 जुलाई, 2023 को शेयरधारक हैं।

साथ ही, जिन शेयरधारकों के पास कट-ऑफ तारीख को शेयर

उपलब्ध हैं वे <https://emeetings.kfintech.com> वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं और "post your queries here" पर क्लिक करके प्रश्न/ शंकाओं को पोस्ट कर सकते हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, विंडो सक्रिय हो जाएगा और 02 अगस्त, 2023 को शाम 5 बजे बंद हो जाएगा।

15. भौतिक धारिता का अमूर्तीकरण

सेबी ने 24 जनवरी, 2022 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अनिवार्य किया है कि प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और हस्तांतरण के अनुरोधों को केवल अभौतिक रूप में संसाधित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को समाप्त करने और डीमैटरियालैजेशन के विभिन्न लाभों को उठाने के लिए, सदस्यों को सलाह दिया जाता है कि वे भौतिक रूप में उनके द्वारा रखे गए शेयरों को डीमैटरियालाइज करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या बैंक के आरटीए से संपर्क कर सकते हैं।

16. सूचना में प्रदर्शित कार्यवाही को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से पूरा किया जाएगा और बैंक इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रहा है:



- कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित), के नियम 20, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ("आईसीएसआई") द्वारा साधारण बैठक पर जारी सचिवालय मानक (एसएस-2) तथा एमसीए के परिपत्रों एवं सेबी के परिपत्रों के साथ लिस्टिंग विनियमन के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक सहर्ष सूचित करना चाहता है कि वार्षिक महासभा में कार्यवाही की सुविधा प्रदान करने के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा और वार्षिक महासभा में शामिल सदस्य बैठक के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपना वोट देने की सुविधा प्रदान की गई है।
- वोटिंग की सुविधा वार्षिक महासभा में रहेगी और इस बैठक में भाग लेने वाले शेयरधारक अपने वोटिंग अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।
- जिन शेयरधारकों ने वार्षिक महासभा से पहले रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा अपना वोट दे दिया है, वे भी वार्षिक महासभा में भाग ले सकते हैं, परन्तु वे दोबारा वोट नहीं कर सकेंगे।

- iv. वार्षिक महासभा से पूर्व निर्धारित समयावधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ("रिमोट ई-वोटिंग") का प्रयोग कर शेयरधारक द्वारा वोट डालने की सुविधा एवं वार्षिक महासभा के दौरान वोटिंग की सुविधा केफिनटेक द्वारा प्रदान की जायेगी.
- v. रिमोट ई-वोटिंग की अवधि **मंगलवार, 01 अगस्त, 2023 (प्रातः 9.00 बजे आईएसटी)** से प्रारम्भ होकर **गुरुवार, 03 अगस्त, 2023 (शाम 5.00 बजे आईएसटी)** तक रहेगी. इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारक, वोटिंग के लिए कट ऑफ तारीख **शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023** को भौतिक या डि-मटेरियलाइज्ड फार्म में शेयर धारण करते हों, कार्यसूची 1 से 8 के लिए रिमोट ई-वोटिंग के द्वारा वोट कर सकते हैं. इस अवधि के बाद केफिनटेक द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को बन्द कर दिया जाएगा. शेयरधारकों द्वारा एक बार संकल्प पर वोट करने के बाद उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी.
- vi. ऐसा व्यक्ति जो वार्षिक महासभा बैठक की सूचना भेज कर बैंक का सदस्य बनता है एवं कटऑफ तिथि अर्थात् **शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023** को शेयर धारित करता है, वह बैंक की ई-मेल investorservices@unionbankofindia.bank पर शेयरधारक के प्रामाणिक साक्ष्य भेज कर या केफिनटेक evoting@kfintech.com को रिमोट ई-वोटिंग की समाप्तिसे पहले अर्थात् **03 अगस्त, 2023 सायं 5.00 बजे** से पूर्व लिख कर निम्नलिखित वर्णित तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं.
- vii. रिमोट ई-वोटिंग के लिए प्रक्रिया और तरीका एवं वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग निम्नानुसार है:

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की जानेवाली ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार **डीमैट मोड** में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरीज या डिपॉजिटरी सहभागी के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से मतदान करने की अनुमति है. शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आईडी अपडेट करें.

(डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले) वैयक्तिक शेयरधारक डिपॉजिटरी के जरिए लॉगिन.

एनएसडीएल	सीडीएसएल
<p>1. आईडीईएस सुविधा के लिए उपयोगकर्ता पहले ही पंजीकृत है :</p> <ol style="list-style-type: none"> I. यूआरएल : https://eservices.nsdl.com II. "आईडीईएस" सेक्शन में "बेनीफिसिएल ओनर" आइकॉन को क्लिक करें. III. नए पेज पर उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्रविष्टि करें. सफल प्रमाणीकरण के बाद, "एक्सैस टु ई-वोटिंग" पर क्लिक करें. IV. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान आप वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वैबसाइट पर पहुँच जाएंगे . 	<p>1. विद्यमान उपयोगकर्ता जिसके पास ईजी/इजीयस्ट का विकल्प है</p> <ol style="list-style-type: none"> I. यूआरएल: https://web.cdslindia.com/myeasinew/home/login अथवा यूआरएल: www.cdslindia.com II. नई प्रणाली माइईजी पर क्लिक करें. III. उपयोगकर्ता आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करें. IV. आगे बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पेज का विकल्प उपलब्ध हो जाएगा. V. अपना वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें .
<p>2. उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो</p> <ol style="list-style-type: none"> I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें : https://eservices.nsdl.com II. "आईडीईएस" के लिए "ऑनलाइन पंजीयन" चुने III. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें . 	<p>2. उपयोगकर्ता ईजी/इजीयस्ट ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो</p> <ol style="list-style-type: none"> I. पंजीकरण का विकल्प पर लिंक उपलब्ध है https://web.cdslindia.com/myeasinew/Registration/EasiRegistration II. वांछित फील्ड भर कर आगे बढ़ें.

<p>3. उपयोगकर्ता आईडीईएस ई-सेवा के लिए पंजीकृत न हो</p> <p>I. पंजीकरण के लिए लिंक पर क्लिक करें: https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp</p> <p>II. वांछित फ़ील्ड भर कर आगे बढ़ें.</p>	<p>3. सीडीएसएल की ई-वोटिंग वेबसाइट जाकर</p> <p>I. यूआरएल: www.cdslindia.com</p> <p>II. डीमैट खाता एवं पैन संख्या प्रदान करें .</p> <p>III. सिस्टम पंजीकृत मोबाइल एवं ई-मेल, जैसा डीमैट खाते में रिकॉर्ड है, पर ओटीपी भेज कर उपयोगकर्ता को प्रमाणीकृत करेगा.</p> <p>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी (ई-वोटिंग सेवा प्रदाता) के लिए लिंक उपलब्ध कराएगा जहां पर ई-वोटिंग चल रही है.</p> 
<p>4. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट जाकर</p> <p>I. यूआरएल: https://www.evoting.nsd.com/</p> <p>II. "अंशधारक/सदस्य" सेक्शन में उपलब्ध "लॉगिन" आइकॉन को क्लिक करें.</p> <p>III. उपयोगकर्ता आईडी (अर्थात एनएसडीएल के साथ 16-अंकों का डीमैट खाता संख्या), पासवर्ड /ओटीपी एवं प्रमाणीकरण कोड, जैसा की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रविष्ट करें.</p> <p>IV. सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप एनएसडीएल डिपोजिटरी साइट पर पहुँच जाएंगे जहां आप ई-वोटिंग का पेज देख सकते हैं.</p> <p>V. कंपनी अथवा ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के नाम पर क्लिक करें और ई-वोटिंग अवधि के दौरान आप वोट करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता के वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे.</p> 	

महत्वपूर्ण नोट:

सदस्य, जो अपना यूजर आईडी /पासवर्ड प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपसे अनुरोध है कि उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध यूजर आईडी भूल गए / पासवर्ड भूल गए के विकल्प का उपयोग करें.

डीमैट रूप में प्रतिभूतियों को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल तथा सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मामले के लिए हेल्पडेस्क.

<p>एनएसडीएल के सदस्य को किसी भी तकनीकी समस्या के लिए लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य एनएसडीएल हेल्पडेस्क पर evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध 1800 1020 990 तथा 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं.</p>	<p>सीडीएसएल के सदस्य को किसी भी तकनीकी समस्या के लिए लॉगिन के दौरान तकनीकी समस्या का सामना कर रहे सदस्य सीडीएसएल हेल्पडेस्क helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेज कर या 022- 23058738 और 022-23058542-43 पर संपर्क कर सकते हैं.</p>
---	--

(डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखनेवाले) वैयक्तिक शेयरधारकों - डिजिटल पार्टिसीपेंट के जरिए लॉगिन.

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/ सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिजिटल सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं. एकबार लॉगिन करने पर, आप ई-वोटिंग विकल्प देख सकते हैं. ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने के उपरांत आपको सफल अधिप्रमाणन के बाद एनएसडीएल/ सीडीएसएल की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा. कंपनी के नाम या ई-वोटिंग सेवाप्रदाता के नाम पर क्लिक करने पर आपको रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान, वोट देने के लिए ई-वोटिंग सेवाप्रदाता की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा.

भौतिक स्वरूप से धारित प्रतिभूतियों के शेयरधारकों एवं गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन पद्धति

- ए. ईमेल के मसौदे में प्रारंभिक पासवर्ड प्रदान किया गया है.
- बी. इंटरनेट ब्राउज़र खोले और एड्रेस बार में <https://evoting.kfintech.com> यूआरएल टाइप करें.
- सी. आपके ई-मेल आईडी में प्रेषित लॉगिन विवरण अर्थात यूजर आईडी और पासवर्ड डालें. आपका फोलियो नं./ डीपी आईडी क्लिक आईडी ही आपका यूजर आईडी होगा. तथापि, यदि आपने ई-वोटिंग के लिए पहले से ही केफिनटेक में पंजीकरण कर रखा है तो वोट देने के लिए आप अपना मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं.
- डी. उचित तरीके से विवरण भरने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें.
- ई. आप पासवर्ड चेंज मेन्यू में पहुंच जाएंगे जहां आपको अनिवार्य रूप से पासवर्ड बदलना पड़ेगा. नये पासवर्ड में न्यूनतम 8 कैरक्टर होने जरूरी है जिसमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (a-z), एक अंकीय मान (0-9) और एक विशेष कैरक्टर (@,#,\$ आदि) होने चाहिए. यह अवश्य ध्यान रखें कि आप अपना पासवर्ड किसी से साझा न करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें.
- एफ. आपको नए विवरण के साथ पुनः लॉगिन करना पड़ेगा.
- जी. सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, सिस्टम तुरंत आपको EVENT अर्थात यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चयन करने

के लिए निर्देशित करेगा.

एच. वोटिंग पेज पर, कट ऑफ की तारीख तक आपके पास कितने शेयर (जो आपके वोटों की संख्या दर्शाएगा) थे स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा. यदि संकल्प के लिए आप अपने सभी वोट स्वीकृत/अस्वीकृत में देना चाहते हैं तो यथास्थिति सभी शेयर की प्रविष्टि करें और 'FOR'/'AGAINST' पर क्लिक करें या आंशिक रूप से 'FOR' एवं आंशिक रूप से 'AGAINST' में, लेकिन कट ऑफ तारीख तक 'FOR' और/या 'AGAINST' में की गई वोटों की कुल संख्या आपके कुल शेयरधारण से अधिक नहीं होनी चाहिए. आप 'ABSTAIN' विकल्प का भी चयन कर सकते हैं और धारित शेयर की गणना दोनों में से किसी एक शीर्ष के अंतर्गत नहीं की जाएगी.

आई. 'SUBMIT' बटन पर क्लिक करें. एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा. पुष्टि हेतु 'OK' पर क्लिक करें या संशोधित करने के लिए 'CANCEL' को क्लिक करें. एक बार पुष्टि हो जाने के बाद आपको अपने वोट में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगी. वोटिंग अवधि के दौरान जब तक आप पुष्टि नहीं करते कि संकल्प पर आपने वोट किया है, तब तक आप अनेक बार लॉगिन कर सकते हैं.

जे. ऐसे सदस्य जिनके विविध फोलियो/ डीमैट खाते हैं प्रत्येक फोलियो/ डीमैट खाते के लिए अलग से वोटिंग की प्रक्रिया का चयन कर सकते हैं.

के. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य (अर्थात वैयक्तिक के अतिरिक्त, एचयूएफ, एनआरआई आदि) से अपेक्षित है कि सुसंगत बोर्ड संकल्प / प्राधिकृत पत्र आदि की प्रमाणित सही प्रतिलिपि की स्कैन ईमेल (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) के साथ-साथ विधिवत हस्ताक्षरित अधोहस्ताक्षरी, जो mail@csraginichokshi.com ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को वोट देने के लिए प्राधिकृत है, का अभिप्रमाणित नमूना हस्ताक्षर प्रेषित करें और अपने लॉगिन में ई-वोटिंग मॉड्यूल में भी इसे अपलोड करें. उपर्युक्त दस्तावेजों की स्कैन प्रति का नाम 'EVEN.....' के प्रारूप में रखें.

viii. ई-वोटिंग से संबंधित मामले में किसी प्रकार की शंका या पूछताछ होने की दशा में हेल्प सेक्शन में, <https://evoting.kfintech.com> पर उपलब्ध "अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न" (एफएक्यू) और ई-वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या 1800 309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल करें.

- ix. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा वोटिंग की सुविधा से संबंधित समस्त शिकायतों के लिए केफिनटेक में संपर्क कर सकते हैं या evoting@kfintech.com पर ई-मेल भेजे या 1800 309 4001 (टोल फ्री) नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
- x. जिस व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तारीख अर्थात् **शुक्रवार, 28 जुलाई, 2023** को शेयरधारक के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, केवल वहीं व्यक्ति रिमोट ई- वोटिंग या वोटिंग द्वारा वार्षिक महासभा बैठक स्थल पर वोटिंग के लिए पात्र होगा।
- xi. संयुक्त धारक के मामले में शेयर के प्रथम धारक को लॉगिन आईडी/ यूजर आईडी एवं पासवर्ड का ब्यौरा भेजा जाएगा। तदनुसार, प्रथम धारक को प्रेषित यूजर आईडी और पासवर्ड का प्रयोग कर वोट को सभी संयुक्त धारकों की ओर से माना जाएगा क्योंकि शेयरधारक जो केफिनटेक की रिमोट ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से वोट करता है, का सभी संयुक्त धारकों की ओर से प्रयुक्त किया जाएगा। प्रथम धारक को ही शेयर धारक माना जाएगा, जिसका नाम शेयरों के सापेक्ष पंजीकृत किया गया है।
- xii. केवल वोट करने के पात्र शेयरधारक ही रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके पास वोट करने का कोई अधिकार नहीं है उसके लिए यह नोटिस को केवल एक सूचना माना जाना चाहिए।
- xiii. मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी द्वारा सुश्री रागिनी चोकसी या श्री उमा शंकर हेगडे, पेशेवर कंपनी सचिव की नियुक्ति जांचकर्ता के रूप में की गयी है ताकि वे सत्य एवं पारदर्शी ढंग से रिमोट की वोटिंग कार्यपद्धति की जांच कर सकें।
- xiv. वार्षिक महासभा बैठक शुरू होने के बाद बैठक के अध्यक्ष द्वारा वहां उपस्थित उन्हीं शेयरधारकों को वोटिंग की अनुमति प्रदान की जाएगी, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के द्वारा अपना वोट नहीं दिया है।
- xv. जांचकर्ता द्वारा वार्षिक महासभा में वोटिंग समाप्त होने के उपरांत तथा बैठक की समाप्ति के बाद अधिकतम दो कार्यदिवसों के अंदर पक्ष और विपक्ष में पड़े कुल वोटों की समेकित रिपोर्ट बनाकर, यदि कोई हो, बैठक के अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत की जाएगी।

17. वोटिंग के परिणाम

वार्षिक महासभा बैठक के दौरान ई-वोटिंग तथा रिमोट ई-वोटिंग के समेकित परिणाम, जांचकर्ता की समेकित रिपोर्ट के साथ बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in तथा केफिनटेक की वेबसाइट <https://evoting.kfintech.com> उपलब्ध करा दिया जायेगा। वोटिंग परिणाम एवं समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट को स्टॉक एक्सचेंज अर्थात् बीएसई एवं एनएसई को प्रेषित किए जाएंगे।

18. बैठक में ई-वोटिंग के लिए जांचकर्ता

ई-वोटिंग के संबंध में जैसा पहले ही इंगित किया है कि सभी कारोबार मद के लिए मेसर्स रागिनी चोकसी एंड कंपनी की सुश्री रागिनी चोकसी, पेशेवर कंपनी सचिव, जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। वे बैठक में अन्य शेयरधारक के ई-वोटिंग के लिए भी जांचकर्ता के रूप में कार्य करेंगे।

19. बैठक का परिणाम

बैंक के प्रधान कार्यालय/केंद्रीय कार्यालय में वार्षिक महासभा बैठक की तिथि से संकल्प के पक्ष में आवश्यक वोटों की संख्या की प्राप्ति के अध्याधीन संकल्प (पों) को पारित माना जाएगा।

20. रिकॉर्ड की गई ट्रांस्क्रिप्ट

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से हुई वार्षिक महासभा की कार्यवाही को बैंक की वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in के निवेशक संबंध अनुभाग के अधीन यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा।

व्याख्यात्मक विवरण

मद क्रमांक 3:

पूंजी की उगाही:

बैंक का कारोबार बैंकिंग एवं उससे संबद्ध सेवा गतिविधियों से हैं। वर्तमान में, बैंक की प्राधिकृत पूंजी ₹10,000 करोड़ हैं। 31 मार्च, 2023 को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी ₹ 6,834.47 करोड़ थीं।

बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का **83.49%** है।

यथा 31 मार्च, 2023 को जोखिम भारित आस्तियों की पूंजीगत निधि निम्नानुसार हैं:

पूँजी पर्याप्तता अनुपात-बासेल III

(₹ करोड़ में)

पैरामीटर	31 मार्च, 2022 आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
कुल जोखिम भारित आस्तियां	लागू नहीं	5,78,455	545,923
कुल पूँजीगत निधि		92,778	79,281
सीईटी 1 पूँजी		71,492	58,049
टियर 1 पूँजी		80,478	66,589
सीआरएआर (%)	11.50	16.04	14.52
सीईटी 1 (%)	8.00	12.36	10.63
टियर 1 (%)	9.50	13.91	12.20
टियर 2 (%)	लागू नहीं	2.13	2.32

नोट: आरबीआई न्यूनतम बेंचमार्क में 2.50 प्रतिशत सीसीबी (पूँजी संरक्षण बफर) सहित सीआरएआर, सीईटी 1 एवं टियर 1 शामिल है। टियर II अनुपात के लिए कोई न्यूनतम नहीं है।

कारोबार आस्तियों की बढ़ोतरी हेतु बासेल III दिशानिर्देशों के अधीन पूँजी को बनाए रखने एवं नियंत्रित अनुपात अपेक्षाओं की प्राप्ति हेतु विकास अनुमानों के आधार पर आपके निदेशकों ने ₹ **10,100 करोड़ (रुपये दस हजार सौ करोड़ मात्र)** की पूँजी जुटाने का फैसला किया है।

लक्षित कारोबार वृद्धि के विकास एवं उसकी प्राप्ति और सामान्य उधारी के उद्देश्य हेतु विनियामक अनुपालन एवं अतिरिक्त पूँजीगत निधियों की आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा पूँजी प्रदान किए जाने के साथ-साथ बैंक द्वारा इक्विटी पूँजी जुटाने के विकल्पों जैसे सार्वजनिक निर्गम (फॉलो-ऑन-पब्लिक इश्यू) और/या राइट इश्यू और/या पात्र संस्थागत नियोजन सहित निजी नियोजन और/या भारत सरकार को अधिमानित आबंटन तथा/या अन्य नियामक प्राधिकरणों और सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अधीन अन्य किसी माध्यम से किया जा सकता है। बढ़ी हुई पूँजी का प्रयोग बैंक के सामान्य कारोबारी उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

यदि क्यूआईपी के द्वारा प्रतिभूतियों को जारी किया जाना है, तो इसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमन बोर्ड (पूँजी का निर्गम एवं आवश्यक प्रकटीकरण) विनियमन 2018 के अध्याय VI के अनुरूप किया जाएगा।

बैंक एक या एक से अधिक किशतों में निजी नियोजन/सार्वजनिक निर्गम आधार पर गौण डिबेंचर, बॉन्ड और/या अन्य ऋण प्रतिभूतियों / ग्रीन बॉन्ड आदि। सहित, लेकिन इन तक सीमित नहीं, स्थायी ऋण लिखतों, गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर की संख्या बढ़ा सकता है, जिसे आरबीआई और सेबी (गैर परिवर्तनीय प्रतिभूति जारी करना एवं सूचीबद्ध करना), 2021 के साथ अनुपालन में निर्धारित एवं वर्गीकृत किया गया है टियर I और टियर

II को भी वर्गीकृत किया गया है।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 का विनियमन 41(4) के अनुसार यदि बैंक द्वारा पुनः कोई निर्गम या ऑफर जारी किया जाता है तो वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर इन्हें ऑफर किया जाएगा, यदि सामान्य बैठक में शेयरधारकों ने अन्यथा निर्णय न लिया हो। उक्त प्रस्ताव के पारित होने की स्थिति में यह बैंक की ओर से बैंक के निदेशक मंडल को अन्यथा न होने की स्थिति में वर्तमान शेयरधारकों को समानुपातिक आधार पर शेयर जारी एवं आबंटित करने के लिए अनुमति देगा।

अतः उपर्युक्त कारणों के लिए, एक संकल्प पारित करना प्रस्तावित हैं जिसमें बोर्ड पर्याप्त लचीलापन और विवेक से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप दे सके।

वर्तमान संकल्प प्रस्तावित है ताकि बैंक का निदेशक मंडल उचित समय, माध्यम, प्रीमियम एवं अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी कर सकें। एक बार प्रस्तावित संकल्प पारित हो जाने पर, इसी तर्ज पर पूर्व में बैंक के शेयरधारकों द्वारा दिनांक 30 जून, 2022 को आयोजित वार्षिक महासभा बैठक में पारित संकल्प का, यह अधिक्रमण करेगा।

विशेष संकल्प के अनुरूप प्रस्तावित इक्विटी शेयरों को लागू सभी विधिक प्रावधानों के अनुरूप जारी किया जाएगा।

आपके निदेशक गण इस कार्यसूची की नोटिस में उल्लिखित विशेष संकल्प को पारित करने की संस्तुति करते हैं।

बैंक के कोई भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय व्यक्ति एवं उनके रिश्तेदारों को शेयरधारिता तक, यदि कोई हो, उपर्युक्त संकल्प (पों) से सम्बद्ध और इच्छुक माना जाएगा।

मद क्र. 4:

श्री लक्ष्मण एस उप्पर (डीआईएन: 02453845) की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक के रूप में नियुक्ति।

श्री लक्ष्मण एस उप्पर (डीआईएन: 02453845) को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9(3)(एच) के तहत बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में भारत सरकार की अधिसूचना एफ.नं. 6/6/2021-बीओ.आई दिनांक 21 मार्च, 2022 द्वारा अधिसूचना की तिथि अर्थात् 21 मार्च, 2022 से तीन साल तक की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, नामित किया गया था। तदनुसार, श्री उप्पर 21 मार्च, 2022 से बैंक के बोर्ड में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक का पद संभाल रहे हैं।

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय के पत्र एफ.नं.6/20/2019--बीओ.आई दिनांक 30 अगस्त, 2019 के अनुसार, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के तहत नामित निदेशक अधिनियम को बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक माना जाता है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 25(2ए) और विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री लक्ष्मण एस उप्पर की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है।

श्री लक्ष्मण एस उप्पर ने सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 16(1)(बी) के तहत "स्वतंत्र निदेशक" की प्रतिपादित परिभाषा के अनुसार स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत की है।

श्री उप्पर इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। आप एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, जनहितैषी और कर्नाटक क्लासिक एज्यूकेशन प्राइवेट लिमिटेड, धारवाड़ के संस्थापक हैं। आपने वर्ष 2012 में स्पर्धा स्पूर्ति पब्लिशर्स एवं प्रिंटेर्स प्राइवेट लिमिटेड की भी शुरुआत की है, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पुस्तकों एवं पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है। श्री उप्पर को शैक्षिक एवं सामाजिक क्षेत्र में उनकी सेवाएँ प्रदान करने के लिए कई राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंध: शून्य
- सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक के तौर पर: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता / अध्यक्षता: शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य
- श्री उप्पर के कौशल/ निपुणता/ क्षमताओं को बैंक कारोबार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा पहचाना गया है और तदनुसार बैंक के बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

श्री लक्ष्मण एस उप्पर को छोड़कर, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, संकल्प से संबंधित नहीं हैं।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की सिफ़ारिश करता है।

मद क्र. 5:

श्री श्रीनिवासन वरदराजन (डीआईएन: 00033882) की बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक एवं गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति

श्री श्रीनिवासन वरदराजन (डीआईएन: 00033882) को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9(3)(एच) के तहत बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में भारत सरकार की अधिसूचना एफ.नं.

6/9/2022-बीओ.आई दिनांक 07 नवंबर, 2022 द्वारा अधिसूचना की तिथि अर्थात् 07 नवंबर, 2022 से तीन साल तक की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, नामित किया गया था। तदनुसार, श्री श्रीनिवासन वरदराजन 07 नवंबर, 2022 से बैंक के बोर्ड में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं।

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय के पत्र एफ.नं.6/20/2019--बीओ.1 दिनांक 30 अगस्त, 2019 के अनुसार, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (एच) के तहत नामित निदेशक अधिनियम को बैंक के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक माना जाता है।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 25(2ए) और विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री श्रीनिवासन वरदराजन की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है।

श्री श्रीनिवासन वरदराजन ने सेबी (सूचीकरण बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 16(1)(बी) के तहत "स्वतंत्र निदेशक" की प्रतिपादित परिभाषा के अनुसार स्वतंत्रता की घोषणा प्रस्तुत की है।

श्री श्रीनिवासन वरदराजन इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई से इंजीनियरिंग स्नातक हैं तथा भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता से प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा किया है। आपके पास बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में तीन दशकों से अधिक का अनुभव है। 2019 में अपनी सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करने से पूर्व आपने एक्सिस बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दी हैं।

वित्तीय सलाहकार के रूप में, आपने एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय परामर्श फ़र्म, एक सॉवरेन वेल्थ फ़ंड, एक बड़े कॉर्पोरेट समूह, एक एनबीएफ़सी समूह और एक निजी क्षेत्र के बैंक में अपनी सेवाएँ प्रदान की हैं। श्री श्रीनिवासन वरदराजन जेपी मॉर्गन, भारत के प्रबंध निदेशक और बाज़ार प्रमुख रहे हैं। आप भारत में जेपी मॉर्गन चैस बैंक के सीईओ भी रहे हैं।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंध: शून्य
- सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक के तौर पर: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता / अध्यक्षता: शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य
- श्री श्रीनिवासन के कौशल/ निपुणता/ क्षमताओं को बैंक कारोबार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा पहचाना गया है और तदनुसार बैंक के बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

श्री श्रीनिवासन वरदराजन को छोड़कर, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, संकल्प से संबंधित नहीं हैं।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की सिफ़ारिश करता है।

मद क्र. 6:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री निधु सक्सेना (डीआईएन: 09691292) की नियुक्ति

श्री निधु सक्सेना (डीआईएन: 09691292) को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9(3)(ए) के तहत बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.नं. 4/2/2021-बीओ.1 दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 द्वारा अधिसूचना की तिथि अर्थात् 01 फरवरी, 2022 से तीन साल तक की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था। तदनुसार, श्री निधु सक्सेना 01 फरवरी, 2022 से बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक का पद संभाल रहे हैं।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में श्री निधु सक्सेना की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है।

श्री निधु सक्सेना वाणिज्य स्नातक हैं और आपने सीएआईआईबी योग्यता के साथ व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर भी किया है। बैंकिंग में अपने 25 वर्षों के अनुभव से पूर्व श्री निधु सक्सेना को विभिन्न क्षेत्रों में 8 वर्षों का कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी है। आपने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत बैंक ऑफ बड़ौदा से की थी जहां आपने 10 वर्षों तक कार्य किया जिसके बाद आपने यूको बैंक में कार्यभार ग्रहण किया।

आपने अपने पूरे बैंकिंग करियर के दौरान एनआरआई विशेषीकृत, रिटेल शाखा तथा केंद्रीय कार्यालय एवं प्रशासनिक कार्यालयों सहित विभिन्न स्थानों पर कार्य किया है। आपने यूको बैंक में पुणे एवं सूरत अंचल के अधीन शाखा प्रमुख तथा अंचल प्रमुख सहित विभिन्न भूमिकाओं में कार्य किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आप यूको बैंक में रिटेल ऋण, एमएसएमई तथा बैंक-बीमा कारोबार के वर्टिकल प्रमुख के रूप में महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंध: शून्य
- सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक के तौर पर: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता / अध्यक्षता: शून्य

- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य
- श्री निधु के कौशल/ निपुणता/ क्षमताओं को बैंक कारोबार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा पहचाना गया है और तदनुसार बैंक के बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

श्री निधु सक्सेना को छोड़कर, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, संकल्प से संबंधित नहीं हैं।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की सिफ़ारिश करता है।

मद क्र. 7 :

बैंक की प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में सुश्री ए. मणिमेखलै (डीआईएन: 08411575) की नियुक्ति

सुश्री ए. मणिमेखलै (डीआईएन: 08411575) को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9(3)(ए) के तहत बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ.नं. 4/2/2021-बीओ.1 दिनांक 03 जून, 2022 द्वारा अधिसूचना की तिथि अर्थात् 03 जून, 2022 से तीन साल तक की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था। तदनुसार, सुश्री ए. मणिमेखलै 03 जून, 2022 से बैंक के बोर्ड में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का पद संभाल रहे हैं।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के रूप में सुश्री ए. मणिमेखलै की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है।

सुश्री ए. मणिमेखलै ने बंगलूरु विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (विपणन) और नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एनएमआईएमएस), मुंबई से मानव संसाधन प्रबंधन में डिप्लोमा किया है। आपने देश की प्रमुख संस्थानों में आयोजित विभिन्न कार्यपालक विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है और साथ ही आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स से एक प्रमाणित एसोसिएट (सीएआईआईबी) भी हैं।

सुश्री ए. मणिमेखलै तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ एक दक्ष बैंकर हैं। आपने 1988 में तत्कालीन विजया बैंक में एक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और सफलतापूर्वक प्रोन्नत होकर क्रमशः शाखा प्रमुख, क्षेत्रीय प्रमुख और कॉर्पोरेट कार्यालय में विभिन्न विभागों के कार्यकारी प्रमुख के तौर पर कार्य किया। आपने योजना बनाने, संगठनात्मक लक्ष्य निर्धारित करने, विकास, कार्य योजनाओं, अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण आदि प्रमुख क्षेत्रों को कवर करने वाली कार्यनीतिक नीतियों को तैयार करने एवं कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कार्यभार ग्रहण करने से पहले, सुश्री ए. मणिमेखले केनरा बैंक में कार्यपालक निदेशक थीं, जहां आपने कार्यनीतिक योजना, ऋण और संबंधित मामले, निरीक्षण, विपणन और वित्तीय समावेशन, राज्य स्तरीय अग्रणी बैंक की जिम्मेदारियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्रियाकलापों का नेतृत्व किया। आपने केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक के सफल समामेलन को प्रभावी रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंध: शून्य
- सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक के तौर पर: भारतीय साधारण बीमा निगम की निदेशक।
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता / अध्यक्षता: भारतीय साधारण बीमा निगम की हितधारक संबंधी समिति एवं लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता।
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य
- सुश्री ए मणिमेखले के कौशल/ निपुणता/ क्षमताओं को बैंक कारोबार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा पहचाना गया है और तदनुसार बैंक के बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

सुश्री ए मणिमेखले को छोड़कर, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, संकल्प से संबंधित नहीं हैं।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

मद क्र. 8:

बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री रामसुब्रमणियन एस. (डीआईएन: 08747165) की नियुक्ति

श्री रामसुब्रमणियन एस. (डीआईएन: 08747165) को भारत सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रम का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970, की धारा 9(3)(ए) के तहत बैंक के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में भारत सरकार की अधिसूचना ईएफ. नं. 4/6/2021-बीओ.1 दिनांक 21 नवंबर, 2022 द्वारा अधिसूचना की तिथि अर्थात् 21 नवंबर, 2022 से तीन साल तक की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, इनमें जो भी पहले हो, नियुक्त किया गया था। तदनुसार, श्री रामसुब्रमणियन एस. 21 नवंबर, 2022 से बैंक के बोर्ड में कार्यपालक निदेशक का पद संभाल रहे हैं।

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015, के विनियम 17(1सी) के पहले प्रावधान के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को बैंक के शेयरधारकों की बैठक में विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

अतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में श्री रामसुब्रमणियन एस. की नियुक्ति हेतु शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी गई है।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ने से पहले, श्री रामसुब्रमणियन एस. केनरा बैंक में मुख्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत थे। आपको बैंकिंग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कॉर्पोरेट क्रेडिट, एमएसएमई/खुदरा ऋण, अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एवं फॉरेक्स में 25 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। आप विज्ञान में स्नातक हैं और सीएआईआईबी अहर्ता प्राप्त हैं।

अपने पूरे बैंकिंग कैरियर के दौरान, आपने प्राइम कॉर्पोरेट क्रेडिट विंग, बड़े कॉर्पोरेट, मध्य कॉर्पोरेट शाखाओं और केनरा बैंक की हाँगकाँग शाखा और प्रधान कार्यालय तथा प्रशासनिक कार्यालयों सहित विभिन्न स्थानों और अलग-अलग श्रेणी की शाखाओं में भी कार्य किया है।

आप शीर्ष कार्यपालक ग्रेड अधिकारी हैं, जिन्होंने वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो (पूर्ववर्ती बैंक बोर्ड ब्यूरो) द्वारा आयोजित नेतृत्व विकास कार्यनीति कार्यक्रम में भाग लिया है। आप आईबीए की कॉर्पोरेट ऋण की स्थायी समिति के भी सदस्य थे। आपको कोविड पुनर्रचना पर कामत समिति में भी नामित किया गया है। आप परिचालन एवं प्रशासन में समान रूप से दक्ष हैं।


सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 36(3) के अनुसार अन्य विवरण निम्नलिखित हैं:

- निदेशकों के बीच परस्पर संबंध: शून्य
- सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक के तौर पर: शून्य
- अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं में सदस्यता / अध्यक्षता: शून्य
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शेयरधारिता: शून्य
- श्री रामसुब्रमणियन के कौशल/ निपुणता/ क्षमताओं को बैंक कारोबार के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा पहचाना गया है और तदनुसार बैंक के बोर्ड के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है।

श्री रामसुब्रमणियन एस. को छोड़कर, कोई भी निदेशक, बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति और उनके रिश्तेदार किसी भी प्रकार से, संकल्प से संबंधित नहीं हैं।

निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए साधारण संकल्प की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(एस.के. दास)
कंपनी सचिव

स्थान: मुंबई

दिनांक : 23.06.2023

NOTICE OF 21st ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 56 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 that the **21st (Twenty First) Annual General Meeting ("AGM")** of the Shareholders of Union Bank of India ("**Bank**") will be held on **Friday, 4th August, 2023 at 11.00 am (IST)** at Central Office, Union Bank of India, Mumbai (the deemed venue of the Meeting) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) facility to transact the following business:

Ordinary Business:

Item No. 1:

To discuss, approve and adopt the Audited **Standalone and Consolidated** Balance Sheet of the Bank as at **31st March 2023, Standalone and Consolidated** Profit and Loss Account for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

Item No. 2:

To declare Dividend of ₹ 3/- per Equity Share of ₹10/- each for the Financial Year 2022-23.

Special Business:

Item No. 3:

Raising of Capital of the Bank by way of issuance of fresh Equity Shares and / or by issuance of Additional Tier-1 / Tier-2 Capital as per BASEL III Guidelines

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 3(2B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("**Act**"), Clause 20 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("**Scheme**"), the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 ("**Regulations**") and other applicable provisions, if any, and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of the Reserve Bank of India ("**RBI**"), the Government of India ("**GOI**"), the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to the SEBI (Issue

of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 [**the SEBI (ICDR) Regulations**], as amended, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [**the SEBI (LODR) Regulations**] as amended, the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021, as amended, the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India), Regulations, 2017 as amended and in accordance with the applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications if any, prescribed by the RBI, SEBI, notifications/circulars and clarifications under the Banking Regulation Act, 1949, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and all other applicable laws and all other competent authorities from time to time and subject to the Uniform Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent **of the members of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank** (hereinafter called "**the Board**" which shall be deemed to include any Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to create, offer, issue and allot in one or more tranches (including with provision for reservation on firm allotment and/or competitive basis of such part of issue and for such categories of persons as may be permitted by the law then applicable) by way of offer document (s)/prospectus or such other document(s), in India or abroad **for an aggregate amount not exceeding ₹10,100 crore (Rupees Ten Thousand One Hundred Crore only) subject to:**

- such number of equity shares and / or Preference Shares (whether Cumulative or not; convertible into equity shares or not) in accordance with the guidelines framed by RBI from time to time, specifying the class of preference shares, the extent of issue of each class of such preference shares, whether perpetual or redeemable, the terms and conditions subject to which each class of preference shares may be issued and / or other permitted securities which are capable of being converted into equity or not for cash (whether at a discount or premium to the market price or issue price or floor price) **for an amount not exceeding ₹8,000 crore (Rupees Eight Thousand crore only)** which together with the existing Paid-up Equity share capital of **₹6834.74 crore (Rupees Six Thousand Eight Hundred Thirty Four Crore and Seventy Four lakhs only)** will be within the total authorized capital of ₹10,000 crore (**Rupees Ten Thousand Crore Only**) of the Bank, being the ceiling in the Authorised Capital of the Bank as per Section 3(2A) of the Act, or to the extent of enhanced

Authorised Capital as per the Amendment (if any), that may be made to the Act in future, whichever is higher, in such a way that the Government of India shall at all times hold not less than 51% of the paid-up Equity Share Capital of the Bank.

- such number of perpetual debt instruments, Non-convertible debentures including but not limited to Sub-ordinated Debentures, Bonds and / or other debt securities on private placement / public issue basis in one or more tranches which may classify for Tier-1 or Tier-2 Capital (including Green/Foreign Currency Denominated Additional Tier -1 /Tier -2 Bonds) as identified and classified by RBI, **for an amount not exceeding ₹ 2,100 crore (Rupees Two Thousand One Hundred crore only).**

to one or more of the members, employees of the Bank, Indian nationals, Non-Resident Indians (“NRIs”), Companies, private or public, Investment Institutions, Limited Liability Partnerships (LLPs), Societies, Trusts, Research Organizations, Qualified Institutional Buyers (“QIBs”) like Foreign Institutional Investors (“FIIs”)/ Foreign Portfolio Investors (“FPIs”), Banks, Financial Institutions, Indian Mutual Funds, Alternate Investment Funds, Foreign Venture Capital Investors, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies, Provident Funds, Pension Funds, Development Financial Institutions or other entities, authorities or any other category of investors which are eligible to invest in equity/preference shares/securities of the Bank as per extant regulations/guidelines or any combination of the above, as may be deemed appropriate by the Bank”.

“RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment of equity/preference shares/securities may also be by way of Qualified Institutions Placement (QIP), Further Public Offer, Rights Issue to public shareholders with or without promoter/promoter group shareholders forgoing their entitlement to equity shares, Depository Receipts/ADR/GDR, Private Placement of Equity / Compulsorily Convertible Debentures, Employees Stock Option Scheme or Employee Stock Purchase Scheme of the Bank or such other mode of issue or combinations of these as may be provided by applicable laws, with or without over-allotment or Green Shoe option and that such offer, issue, placement and allotment of equity/preference shares/securities be made as per the provisions of the Act, RBI Guidelines, the SEBI ICDR Regulations and all other applicable guidelines issued by the RBI, SEBI and any other authority as applicable, and at such time or times in such manner and on such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, think fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT in respect of the aforesaid issue/s, the Board shall have the absolute authority to decide, such price or prices not below the price as determined in accordance with relevant provisions of the SEBI (ICDR)

Regulations, in such manner and wherever necessary, in consultation with the lead managers and /or underwriters and /or other advisors, and/or such terms and conditions as the Board may, in its absolute discretion, decide in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, other regulations and any and all other applicable laws, rules, regulations and guidelines, and/or whether or not the proposed investor(s) are existing shareholders of the Bank.”

“RESOLVED FURTHER THAT in accordance with the provisions of the Listing Regulations, the provisions of the Act, the provisions of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2017, and subject to requisite approvals, consents, permissions and/or sanctions of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Stock Exchanges, Reserve Bank of India (RBI), Department for Promotion of Industry and Internal Trade - Ministry of Commerce and Industry (DPIIT), Ministry of Finance and all other authorities as may be required (hereinafter collectively referred to as “the Appropriate Authorities”) and subject to such conditions as may be prescribed by any of them while granting any such approval, consent, permission, and/or sanction (hereinafter referred to as “the requisite approvals”) the Board, may at its absolute discretion, issue, offer and allot, from time to time in one or more tranches, equity shares or any securities other than warrants, which are convertible into or exchangeable with equity shares at a later date, in such a way that the Government of India at any time holds not less than 51% of the Equity Capital of the Bank, to Qualified Institutional Buyers (QIBs) (as defined in Chapter I of the SEBI (ICDR) Regulations pursuant to a Qualified Institutions Placement (QIP), as provided for under Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations, through a placement document and / or such other documents / writings / circulars / memoranda and in such manner and on such price, terms and conditions as may be determined by the Board in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations or other provisions of the law as may be prevailing at that time”

“RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations:

- a) The allotment of Securities shall only be made to Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter I of the SEBI (ICDR) Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such Securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution.”
- b) The Bank in pursuant to provision of Regulation 176(1) of SEBI (ICDR) Regulations authorized to offer shares

at a discount of not more than five percent on the floor price as determined in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations.

- c) The relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/RBI/SEBI/Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the issue and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs/FPIs and/or other eligible foreign investments be subject to the approval of the RBI under the Foreign Exchange Management Act, 1999 as may be applicable but within the overall limits set forth under the Act and by other regulators, as applicable.”

“RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares to be issued shall be subject to the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, as amended, and shall rank in all respects pari-passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration.”

“RESOLVED FURTHER THAT the equity shares to be issued shall be listed with the stock exchanges where the existing equity shares of the Bank are listed.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/securities, the Board be and is hereby authorized to determine the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price, premium amount on issue as the Board in its absolute discretion deems fit and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as they may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions, as it may, in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval

of the shareholders and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution may be exercised by the Board.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements with any Book Runner(s), Lead Manager(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies), Registrar(s), Auditor(s), Arrangers(s) and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of equity / securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above, the Board, in consultation with the Lead Managers, Underwriters, Advisors and/or other persons as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/securities are to be allotted, number of shares/securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion of Securities/exercise of warrants/redemption of Securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares or other securities upon conversion or redemption or cancellation of the Securities, the price, premium or discount on issue/conversion of Securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, as the Board in its absolute discretion deems fit.”

“RESOLVED FURTHER THAT such of the aforesaid securities as are not subscribed may be disposed off by the Board in its absolute discretion in such manner, as the Board may deem fit and as permissible by law.”

“RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deems necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the shares/securities and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution.”

“RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Committee of Directors for Raising of Capital Funds or the Managing Director & CEO or to the Executive Director/(s) to give effect to the aforesaid Resolutions.”

Item No. 4:

Appointment of Shri Laxman S Uppar (DIN: 02453845) as Part-Time Non-Official (Independent) Director of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 25(2A) and First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the nomination of Shri Laxman S Uppar vide Government of India’s Notification F.No. 6/6/2021-BO.I dated 21st March 2022 as Part-Time Non-Official Director of the Bank for a period of three years from the date of notification i.e., 21st March 2022 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.”

Item No. 5:

Appointment of Shri Srinivasan Varadarajan (DIN: 00033882) as Part-Time Non-Official (Independent) Director and Non-Executive Chairman of the Bank

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as a Special Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to Regulation 25(2A) and First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the nomination of Shri Srinivasan Varadarajan vide Government of India’s Notification F.No. 6/9/2022-BO.I dated 7th November 2022 as Part-Time Non-Official Director and Non-Executive Chairman of the Bank for a period of three years from the date of notification i.e., 7th November 2022 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.”

Item No. 6:

Appointment of Shri Nidhu Saxena (DIN: 09691292) as Executive Director of the Bank

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Nidhu Saxena vide Government of India’s Notification eF.No. 4/2/2021-BO.I dated 21st October 2021 as Executive Director of the Bank for a period of three years from the date of assumption of office i.e., 1st February 2022 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.”

Item No. 7:

Appointment of Ms.A. Manimekhalai (DIN: 08411575) as Managing Director and CEO of the Bank

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Ms. A. Manimaekhalai vide Government of India’s Notification eF.No. 4/4/2021-BO.I dated 3rd June 2022 as Managing Director and Chief Executive Officer of the Bank for a period of three years from the date of assumption of office i.e., 3rd June 2022 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.”

Item No. 8:

Appointment of Shri Ramasubramanian S (DIN: 08747165) as Executive Director of the Bank

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution(s) as an Ordinary Resolution:

“RESOLVED THAT pursuant to First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended, read with Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the appointment of Shri Ramasubramanian S vide Government of India’s Notification eF.No. 4/6/2021-BO.I dated 21st November 2022 as Executive Director of the Bank for a period of three years

from the date of assumption of office i.e., 21st November 2022 or until further orders, whichever is earlier, be and is hereby approved on the same terms and conditions as determined by the Government of India.”

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA



Place : Mumbai
Date: 23.06.2023

(S.K. Dash)
COMPANY SECRETARY

NOTES

1. EXPLANATORY STATEMENT

The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. HOLDING OF AGM THROUGH VIDEO CONFERENCING (VC) OR OTHER AUDIO VISUAL MEANS (OAVM)

- a. Pursuant to General Circular No. 10/2022 dated 28th December 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (“MCA Circulars”) and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January 2023 issued by the Securities and Exchange Board of India (“SEBI Circulars”) and in compliance with the provisions of the Act and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“Listing Regulations”), Communication No. F. No. 7/47/2020-BOA dated 10th July 2020 of Ministry of Finance, Government of India, the AGM of the Bank is being conducted through VC/OAVM Facility, which does not require physical presence of members at a common venue. The deemed venue for the AGM shall be the Central Office of the Bank situated at Mumbai. The Special business mentioned in the business Item Nos.3 to 8 being unavoidable, be transacted at the 21st AGM of the Bank through VC/OAVM.
- b. The Bank is adhering and complying with all the provisions mentioned in the MCA Circulars. The Bank has made all the necessary arrangements to avoid failure of VC/OAVM connection. The Bank has ensured sufficient and adequate security to safeguard the integrity of the meeting.
- c. KFin Technologies Limited (KFintech) will be providing facility for voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.

- d. In line with the MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the AGM will be made available on the website of the Bank at www.unionbankofindia.co.in, on the website of BSE Limited at www.bseindia.com, on the website of National Stock Exchange of India Ltd. at www.nseindia.com and also on the website of KFintech at <https://evoting.kfintech.com>.
- e. As the AGM will be held through VC/OAVM Facility, the Route Map is not annexed in this Notice as required under Secretarial Standard 2 issued by the Institute of Company Secretaries of India.
- f. Members may participate in the AGM through VC/OAVM facility by following the procedure as mentioned below which shall be kept open for the Members from 10.45 AM (IST) i.e. 15 minutes before the time scheduled to start the AGM and the Bank may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled time to start the AGM. To join the VC/OAVM please visit <https://emeetings.kfintech.com> with the credentials as mentioned in the notice para no. 16 (vii)) a, b & c. The helpline toll free no. 1800 309 4001 may be used for assistance with the technology before or during the meeting.
- g. Members may note that the VC/OAVM Facility with two-way conferencing and also pose questions concurrently, provided by KFintech allows participation of atleast 1,000 Members on a first-come-first-served basis. The large shareholders (i.e. shareholders holding 2% or more shareholding), promoter, institutional investors, directors, key managerial personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, auditors, scrutinizer etc. can attend the AGM without any restriction on account of first-come- first-served principle as per the MCA Circulars. Institutional Investors who are Members of the Bank, are encouraged to attend and vote in the 21st AGM through VC/OAVM Facility.
- h. Attendance of the Members participating in the AGM through VC/OAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum.
- i. Since the AGM is being held through VC/OAVM the physical attendance of members is dispensed with and no proxies would be accepted by the Bank pursuant to MCA Circulars.
- j. Speaker shareholder registration before AGM may also be availed during the remote e-voting period latest by **5 PM on Wednesday**,

2nd August, 2023. Shareholders who wish to register as speaker are requested to visit <https://emeetings.kfintech.com> by using e-voting login credentials and click speaker registration during this period. Shareholders are requested to wait for their turn to be called by the Chairman of the meeting during the Question Answer session and coordination during the AGM. The Bank may have to dispense or curtail the speaker session; hence, shareholders are encouraged to send their relevant questions etc. in advance as provided in Notice Para No. 14 from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number /folio number and mobile number, on the Bank's email address investorservices@unionbankofindia.bank. Such questions by the Members shall be taken up during the meeting and replied by the Bank suitably. However, it is requested to raise the questions precisely and in short at the time of meeting to enable us to answer the same.

- k. The Shareholders who have not registered their email id can participate in the AGM after registering their email ID and Mobile Nos. in the weblink <https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx>
- l. Members holding shares in physical form are requested to furnish bank details, email address, change of address etc. to the Registrars and Transfer Agent KFin Technologies Limited before the cut-off date i.e. **Friday, 28th July, 2023** in order to take note of the same. In respect of members holding shares in electronic mode, the details as would be furnished by the Depositories as at the close of the aforesaid date will be considered by the Bank. Hence, members holding shares shall update their records at the earliest to enable us to send the Notice of AGM to their registered email id.

3. APPOINTMENT OF PROXY

In terms of the MCA Circulars, since the physical attendance of Members has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by Members under Regulation 70(vi) of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998 will not be available for the AGM. Therefore, instrument for appointing proxy and attendance slip is not being attached herewith. However, representatives of the Members may be appointed for the purpose of voting through remote e-voting, for participation in the AGM through VC/OAVM Facility and e-voting during the AGM.

4. APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend the meeting as a duly authorized representative of a Company or any Body Corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been sent to mail@csraginichokshi.com not less than FOUR DAYS before the date of meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. **5.00 p.m. on Friday, 28th July, 2023.**

5. BOOK CLOSURE

The Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, 29th July, 2023 to Friday, 4th August, 2023** (both days inclusive) for the purpose of AGM and for payment of Dividend, if declared by the Shareholders.

6. UNCLAIMED/UNPAID DIVIDEND, IF ANY

The shareholders who have not encashed their Dividend Warrants / not received dividend of previous periods, if any, are requested to contact the Bank's Registrar & Share Transfer Agent (RTA) or Bank's Investors Services Division for payment of unclaimed/unpaid dividend.

Shareholders are requested to carefully note that pursuant to Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, dividend remained unclaimed/unpaid for 30 days from the date of its declaration shall be transferred to the "Unpaid Dividend Account" within 7 days from the date of expiry of such period of 30 days.

The amount transferred to the said "Unpaid Dividend Account" and remained unclaimed/unpaid for a period of seven years from the date of transfer, is required to be transferred to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under Section 125 of the Companies Act, 2013. The Bank has already transferred unpaid dividend up to FY 2014-15 to IEPF.

7. CHANGE OF ADDRESS / BANK PARTICULARS / BANK ACCOUNT MANDATE / NOMINATION

Members are requested to intimate changes, if any, pertaining to their name, postal address, e-mail address, telephone/mobile numbers, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, power of attorney, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc.,

- a. For shares held in electronic form: to their Depository Participants (DPs)

- b. For shares held in physical form: to the Bank / Bank's Registrar and Transfer Agent (RTA) in prescribed **Form ISR-1** and other forms pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/ MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2021/655 dated November 3, 2021. The Bank has sent letters along with Business Reply Envelopes (BRE) for furnishing the required details.
- c. As per the provisions of the said SEBI Circular, the facility for making nomination is available for the Members in respect of the shares held by them. Members who have not yet registered their nomination are requested to register the same by submitting **Form No. SH-13**. If a Member desires to opt out or cancel the earlier nomination and record a fresh nomination, he/ she may submit the same in **Form ISR-3 or SH-14** as the case may be. Members are requested to submit the said details to their DP in case the shares are held by them indematerialized form and to Bank's RTA in case the shares are held in physical form.

The address of Bank's RTA:

KFin Technologies Ltd.,
Unit: Union Bank of India,
Selenium, Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,
Financial District, Nanakramguda,
Hyderabad - 500 032.
Tel. No.: 040 – 67162222.

- d. The said forms are available on the website of the Bank at www.unionbankofindia.co.in/english/important-announcement-to-physical-shareholders.aspx
- e. Shareholders holding shares in electronic form must send the advice about change in address to their respective Depository Participant only and not to the Bank or Bank's RTA.
- f. Shareholders are requested to invariably quote their respective folio number/s (for those holding shares in physical form) and their respective DP Id / Client Id number (for those holding shares in electronic/demat form) in any correspondence with the Bank or Bank's RTA.

8. ISSUANCE OF SECURITIES IN DEMATERIALIZED FORM IN CASE OF INVESTOR SERVICE REQUESTS AND SIMPLIFICATION OF PROCEDURES FOR TRANSMISSION OF SHARES

Members may please note that SEBI vide its Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD_RTAMB/P/CIR/2022/8 dated January 25, 2022 has mandated the Listed Entities to issue securities in **dematerialized form only** through letter of confirmation while processing the following service requests viz.

- Issue of duplicate securities certificate;

- claim from unclaimed suspense account;
- renewal/ exchange of securities certificate;
- endorsement;
- sub-division/splitting of securities certificate;
- consolidation of securities certificates/folios;
- transmission and transposition.

Accordingly, Members are requested to make the said service requests by submitting a duly filled and signed **Form ISR – 4**, the format of which is available on the Company's website at www.unionbankofindia.co.in/english/issuance-securities.aspx. It may be noted that any service request can be processed only after the folio is KYC Compliant. Shareholders are also requested to follow the procedure as simplified by SEBI with regard to transmission of shares.

9. RECORDING OF CHANGE OF STATUS

Non-Resident Indian Shareholders are requested to inform the RTA of the Bank – Kfin Technologies Limited immediately of:

- a) The change in the Residential status on return to India for permanent settlement.
- b) The particulars of the Bank Account maintained in India with complete name, branch, account type, account number and address of the Bank with PIN, if not furnished earlier.

10. COPIES OF ANNUAL REPORT

As allowed by the authorities, copies of the Annual Report 2022-23 in physical form shall not be dispatched and the same shall be sent through e-mail only to those Shareholders who have registered their Email IDs with the Bank or with Depository Participant. The Annual Report will also be hosted on the websites of the Bank and the Stock Exchanges. The shareholders may contact the Registrar and Share Transfer Agent in case of physical shares or Depository Participant in case of shares in demat form, for updation of email id.

11. CUT OFF DATE

FOR E-VOTING:

Pursuant to Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended, voting rights of the shareholders in respect of business Item nos. 1 to 8 shall be reckoned as on **Friday, 28th July, 2023**.

12. PAYMENT OF DIVIDEND

If the dividend, as recommended by the Board of Directors, is declared at the AGM, payment of such dividend subject to Tax Deduction at Source will be made from **Wednesday, 9th August 2023** onwards as under:

- To all Beneficial Owners in respect of shares held in dematerialized form as per the data as

may be made available by the National Securities Depository Limited (“NSDL”) and the Central Depository Services (India) Limited (“CDSL”), collectively “Depositories”, as of end of day on **Friday, 28th July, 2023.**

- To all Members in respect of shares held in physical form after giving effect to valid transmission or transposition requests lodged with the Bank as of the close of business hours on **Friday, 28th July, 2023.**

Pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Bank is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates against payment of Dividend more than ₹ 5000 per shareholder on PAN basis. For the prescribed rates for various categories, please refer to the Finance Act, 2020 and the amendments thereof. The shareholders are requested to update their valid PAN with the DPs (if shares held in dematerialized form) and the Bank/ Bank’s RTA (if shares are held in physical form).

13. VOTING RIGHTS

In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of **ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.**

Subject to the above, as per Regulation 68 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-Off Date i.e. Friday, 28th July, 2023** shall have one vote for each share held by him/her.

As per Regulation 10 of the Union Bank of India (Shares and Meetings) Regulations, 1998, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the meeting and is also only eligible to vote.

14. INFORMATION ON ACCOUNTS AND OTHER RELATED QUERIES

Shareholders seeking any information on the Accounts and other related queries are requested to write to the Bank by email at investorservices@unionbankofindia.bank which should reach the Bank before the date of the AGM latest by **5 PM on 2nd August, 2023** so as to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only

during the AGM. Please note that members’ questions will be answered only if they continue to hold shares as on cut-off date i.e. **28th July, 2023.**

Alternatively, Shareholders holding shares as on cut-off date may also visit <https://emeetings.kfintech.com/> and click on “post your queries here” to post the relevant queries/view/questions. The window shall be activated during remote e-voting period and shall be closed by **5 pm on 2nd August, 2023.**

15. DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL HOLDINGS

SEBI vide its notification dated January 24, 2022 has mandated that all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and avail various benefits of dematerialisation, Members are advised to dematerialise the shares held by them in physical form. Members can contact the Bank or Bank’s RTA for assistance in this regard.

16. BUSINESS SET OUT IN THE NOTICE WILL BE TRANSACTED THROUGH ELECTRONIC VOTING SYSTEM AND THE BANK IS PROVIDING FACILITY FOR VOTING BY ELECTRONIC MEANS:

- Pursuant to the provisions of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended), Secretarial Standard on General Meetings (SS-2) issued by the Institute of Company Secretaries of India (“ICSI”) and Regulation 44 of Listing Regulations read with MCA Circulars and SEBI Circulars, the Bank is pleased to provide remote e-voting facility to its Members in respect of the business to be transacted during the AGM and facility for those Members participating in the AGM to cast vote through e-voting system during the AGM.
- The facility for voting shall also be made available during the AGM and the shareholders participating in the meeting who have not cast their votes by remote e-voting shall be able to exercise their right during the meeting through e-voting.
- The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also participate in the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.
- The facility of casting the votes by the shareholders using an electronic voting system (“remote e-voting”) during the prescribed time prior to AGM and voting during AGM will be provided by service provider KFintech.
- The remote e-voting period commences on **Tuesday, 1st August, 2023 (9:00 am IST)** and ends on **Thursday, 3rd August, 2023 (5:00 pm IST).**

During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-Off Date of **Friday, 28th July, 2023** may cast their vote by remote e-voting for business Item nos. 1 to 8. The remote e-voting module shall be disabled by KFinTech for voting thereafter. Once a shareholder casts his vote on a resolution, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

- vi. Any person who becomes a member of the Bank after sending notice of AGM and holding shares as on cut-off date i.e. **Friday, 28th July, 2023** may obtain the User ID and Password in the manner mentioned below by sending email to Bank at investorservices@unionbankofindia.bank along with authentic proof of shareholder or to write to KFinTech at evoting@kfintech.com sufficiently

before closing of the remote e-voting i.e. **before 5.00 pm on 3rd August, 2023.**


- vii. The process and the manner for remote e-voting and e-voting during AGM is as under:

As per the SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in **Demat mode** are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile number and email Id in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

Individual Shareholders (holding securities in DEMAT mode) - Login through Depositories.

NSDL	CDSL
1. User already registered for IDeAS facility:	1. Existing user who have opted for Easi / Easiest
I. URL: https://eservices.nsd.com II. Click on the "Beneficial Owner" icon under 'IDeAS' section. III. On the new page, enter User ID and Password. Post successful authentication, click on "Access to e-Voting" IV. Click on company name or e-Voting service provider and you will be re-directed to e-Voting service provider website for casting the vote during the remote e-Voting period.	I. URL: https://web.cdslindia.com/myeasinew/home/login or URL: www.cdslindia.com II. Click on New System Myeasi III. Login with user id and password. IV. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. V. Click on e-Voting service provider name to cast your vote.
2. User not registered for IDeAS e- Services	2. User not registered for Easi/Easiest
I. To register click on link : https://eservices.nsd.com II. Select "Register Online for IDeAS" III. Proceed with completing the required fields.	I. Option to register is available at https://web.cdslindia.com/myeasinew/Registration/EasiRegistration II. Proceed with completing the required fields.
3. User not registered for IDeAS e-Services	3. By visiting the e-Voting website of CDSL
I. To register click on link : https://eservices.nsd.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp II. Proceed with completing the required fields.	I. URL: www.cdslindia.com II. Provide demat Account Number and PAN No. III. System will authenticate user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the demat Account. IV. After successful authentication, user will be provided links for the respective ESP (E-voting Service Provider) where the e-Voting is in progress.



NSDL	CDSL
<p>4. By visiting the e-Voting website of NSDL</p> <p>I. URL: https://www.evoting.nsdl.com/</p> <p>II. Click on the icon “Login” which is available under ‘Shareholder/Member’ section.</p> <p>III. Enter User ID (i.e. 16-digit demat account number held with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.</p> <p>IV. Post successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page.</p> <p>V. Click on company name or e-Voting service provider name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.</p> <div style="text-align: center;">  </div>	

Important note:

Members who are unable to retrieve User ID/ Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at above mentioned websites.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depositories i.e. NSDL and CDSL

Members facing any technical issue - NSDL	Members facing any technical issue - CDSL
Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022- 23058738 or 022-23058542-43.

Individual Shareholders (holding securities in DEMAT mode) - Login through their Depository Participants.

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Once login, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option and you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication. Click on company name or e-Voting service provider

name and you will be redirected to e-Voting service provider website for casting your vote during the remote e-Voting period.

Login method for Non-Individual Shareholders and Shareholders holding securities in Physical Form

- Initial Password is provided in the body of the email.
- Launch internet browser and type the URL: <https://evoting.kfintech.com> in the address bar.
- Enter the login credentials i.e. User ID and password mentioned in your email. Your Folio No. /DP ID Client ID will be your User ID. However, if you are already registered with KFintech for e-voting, you can use your existing User ID and password for casting your votes.
- After entering the details appropriately, click on LOGIN.
- You will reach the password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (a-z), one numeric value (0-9) and a special character (@,#,\$,etc.). It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

- f. You need to login again with the new credentials.
- g. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e. Union Bank of India.
- h. On the voting page, the number of shares (which represents the number of votes) held by you as on the cut-off date will appear. If you desire to cast all the votes assenting/dissenting to the resolution, enter all shares and click 'FOR'/'AGAINST' as the case may be or partially in 'FOR' and partially in 'AGAINST', but the total number in 'FOR' and/or 'AGAINST' taken together should not exceed your total shareholding as on the cut-off date. You may also choose the option 'ABSTAIN' and the shares held will not be counted under either head.
- i. Click on 'SUBMIT'. A confirmation box will be displayed. Click 'OK' to confirm, else 'CANCEL' to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote subsequently. During the voting period, you can login multiple times till you have confirmed that you have voted on the resolution.
- j. Members holding multiple folios/demat accounts shall choose the voting process separately for each folio/demat account.
- k. Corporate/institutional members (i.e. other than individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned image (PDF/JPG format) of certified true copy of relevant board resolution/authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorised signatory (ies) who is/are authorised to vote, to the Scrutinizer through email at mail@csraginichokshi.com and may also upload the same in the e-voting module in their login. The scanned image of the above documents should be in the naming format 'EVEN.....'
- viii. In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and evoting manual available at <https://evoting.kfintech.com> under help section or call on 1800 309 4001 (toll free).
- ix. All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Kfintech or send an email to evoting@kfintech.com or call 1800 309 4001 (Toll Free).
- x. A person, whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on the cut-off date i.e. **Friday, 28th July, 2023** only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting or voting at the AGM.
- xi. In case of Joint holders, login ID/User Id and password details shall be sent to the first holder of the shares. Accordingly, the vote using user ID and Password sent to first holder is recognized on behalf of all the joint holders as the shareholder who casts the vote through the remote e-voting services of Kfintech, is doing so on behalf of all joint holders. First holder shall mean the holder of shares, whose name is first registered against the shares held.
- xii. Only a Shareholder entitled to vote is entitled to exercise his vote through remote e-voting. Any person having no voting rights should treat this Notice as intimation only.
- xiii. Ms. Ragini Chokshi or Mr Uma Shankar Hegde of M/s Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretaries has been appointed as the Scrutinizer to scrutinize the remote evoting process in a fair and transparent manner.
- xiv. The Chairman/Chairperson of the Meeting shall, after commencement of the AGM, allow voting for all those shareholders who are participating in the AGM but have not casted their vote by availing the remote e-voting facility.
- xv. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the AGM, within two working days of the conclusion of the AGM, submit a consolidated scrutinizer's report of the total votes casted in favour or against, if any, to the Chairman/Chairperson of the Meeting or any other person authorised by him/her in writing.

17. RESULTS OF VOTING

The consolidated results of remote e-voting and e-voting during the AGM alongwith the consolidated report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Bank i.e. www.unionbankofindia.co.in and on the website of Kfintech i.e. <https://evoting.kfintech.com>. The voting results and consolidated scrutinizer's report shall simultaneously be communicated to the Stock Exchanges i.e. BSE & NSE.

18. SCRUTINISERS FOR E-VOTING AT MEETING

As already indicated for e-voting, Ms. Ragini Chokshi of M/s Ragini Chokshi & Co., Practicing Company Secretaries shall act as Scrutinizer in respect of all the business Items. They shall also act as Scrutinizer along with another shareholder for the E-voting conducted at the Meeting.

19. OUTCOME OF MEETING

The resolution shall be deemed to be passed at the Central Office of the Bank on the date of AGM subject to receipt of the requisite number of votes in the favour of resolution(s).

20. RECORDED TRANSCRIPT

Proceeding of AGM held through VC/OAVM shall be made available on the website of the Bank www.unionbankofindia.co.in under Investor Relations section as soon as possible.

EXPLANATORY STATEMENT

ITEM NO.3:

Raising of Capital:

The Bank is in the business of the Banking and related services activities. Presently, the Authorised Capital of the Bank is ₹ 10,000 crore. The paid-up equity share capital of the Bank as on 31st March 2023 was ₹ 6,834.47 crore.

Shareholding of Government of India in the Bank is **83.49%** of the total paid-up capital of the Bank.

The capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2023 was as under:

Capital Adequacy Ratios - Basel III

(₹ in crore)

Parameters	RBI Minimum Benchmark March 31, 2022	March 31, 2023	March 31, 2022
Total Risk Weighted Assets	NA	5,78,455	545,923
Total Capital Funds		92,778	79,281
CET 1 Capital		71,492	58,049
Tier 1 Capital		80,478	66,589
CRAR (%)	11.50	16.04	14.52
CET 1 (%)	8.00	12.36	10.63
Tier 1 (%)	9.50	13.91	12.20
Tier 2 (%)	NA	2.13	2.32

Note: RBI minimum benchmarks are including CCB (Capital Conservation buffer) of 2.50 per cent in CRAR, CET 1 and Tier 1 ratios. There is no minimum for Tier II ratio.

In order to maintain the Capital and Leverage Ratio requirements under the Basel III guidelines for expansion of business assets and based on the estimated growth, your Directors have decided to raise the Capital up to ₹ **10,100 crore (Rupees Ten Thousand One Hundred crore Only)**.

In order to ensure regulatory compliances and to meet the requirement of additional capital funds for expanding and achieving the targeted business growth and for general lending purposes, the Bank may raise Equity Share Capital through Public Issue (i.e. follow-on-Public Issue) and/or Rights Issue and/or Private Placement, including Qualified Institutions Placement and/or Preferential Allotment to the Government of India and/or other Institutions and/or any other mode(s) subject to approval by the Government of

India and other regulatory authorities and in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. The enhanced capital will be utilized for the general business purposes of the Bank.

In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The Bank may also raise such number of perpetual debt instruments, Non-convertible debentures including but not limited to Sub-ordinated Debentures, Bonds and / or other debt securities / Green Bonds etc., on private placement / public issue basis in one or more tranches which may classify for Tier-1 or Tier-2 Capital as identified and classified by RBI and in compliance with the SEBI (Issue and Listing of Non-Convertible Securities) Regulations, 2021.

The Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro-rata basis unless the shareholders in the general meeting decide otherwise as far as equity shares are concerned. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board of Directors on behalf of the Bank to issue and allot the securities otherwise than on pro-rata basis to the existing shareholders.

For reasons aforesaid, an enabling resolution is therefore proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalize the terms of the issue.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares/ Bonds at an appropriate time, mode and other terms. This proposed resolution once passed it will superede the resolution already passed in similar line, by the shareholders of the Bank in its Annual General Meeting held on 30th June, 2022.

The proposed issuance of Equity Shares and or Bonds in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws.

Your Directors recommend passing of the special resolution as mentioned in the notice.

None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the Resolution, except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

ITEM NO.4:**Appointment of Shri Laxman S Uppar (DIN: 02453845) as Part-Time Non-Official (Independent) Director of the Bank.**

Shri Laxman S Uppar (DIN: 02453845) was nominated by the Govt. of India as the Part-Time Non-Official Director of the Bank under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification F.No. 6/6/2021-BO.I dated 21st March 2022 for a period of three years from the date of notification i.e., 21st March 2022 or until further orders, whichever is earlier. Accordingly, Shri Uppar holds the position of Part-Time Non-Official Director on the Board of the Bank effective 21st March 2022.

In terms of Department of Financial Services, Ministry of Finance Letter vide F.No.6/20/2019-BO.I dated August 30, 2019, Directors nominated under clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Act are considered as Independent on the Board of the Bank.

In terms of Regulation 25(2A) and First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of independent directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank by way of Special Resolution.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Laxman S Uppar as Part-Time Non-Official Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Shri Laxman S Uppar has furnished declaration of Independence as enunciated in the definition of the term "Independent Director" under Regulation 16(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Shri Uppar has done Bachelor's in Engineering. He is a noted Educationist, Philanthropist and Founder of Karnataka Classic Education Private Ltd. Dharwad. He has also started Spardha Spoorti Publishers & Printers Pvt. Ltd. Dharwad in 2012, which publishes books and magazines for various competitive examinations. He has been bestowed with many National level awards for his service to educational and service sector.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL
- Directorship in other listed entities: NIL
- Membership / Chairmanship in other listed entities:

NIL

- Shareholding in Union Bank of India: NIL
- The skills/expertise/capabilities of Mr Uppar as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly nomination of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

Except Shri Laxman S Uppar, None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board of Directors recommends the Special Resolution for your approval.

Item No. 5:**Appointment of Shri Srinivasan Varadarajan (DIN: 00033882) as Part-Time Non-Official (Independent) Director and Non-Executive Chairman of the Bank**

Shri Srinivasan Varadarajan (DIN: 00033882) was nominated by the Govt. of India as the Part-Time Non-Official Director and Non-Executive Chairman of the Bank under Section 9(3)(h) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification F.No. 6/9/2022-BO.I dated 7th November 2022 for a period of three years from the date of notification i.e., 7th November 2022 or until further orders, whichever is earlier. Accordingly, Shri Srinivasan Varadarajan holds the position of Part-Time Non-Official Director and Non-Executive Chairman on the Board of the Bank effective 7th November 2022.

In terms of Department of Financial Services, Ministry of Finance Letter vide F.No.6/20/2019-BO.I dated August 30, 2019, Directors nominated under clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of the Act are considered as Independent on the Board of the Bank.

In terms of Regulation 25(2A) and First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of independent directors has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank by way of Special Resolution.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Srinivasan Varadarajan as Part-Time Non-Official Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Shri Srinivasan Varadarajan has furnished declaration of Independence as enunciated in the definition of the term "Independent Director" under Regulation 16(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Shri Srinivasan Varadarajan holds an Engineering Degree from the College of Engineering, Anna University, Chennai and PG Diploma in Management from the Indian Institute of Management, Calcutta. He has to his credit, more than three decades of experience in Banking and Financial services. He last served as the Deputy Managing Director of Axis Bank before setting up his own advisory practice in 2019.

As a financial advisor, he has worked with a leading international consulting firm, a sovereign wealth fund, a large corporate group, a NBFC group and a private sector Bank. Shri Srinivasan Varadarajan was the Managing Director and Head of Markets with J.P. Morgan, India. He was also the CEO, J P Morgan Chase Bank in India.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL
- Directorship in other listed entities: NIL
- Membership / Chairmanship in other listed entities: NIL
- Shareholding in Union Bank of India: NIL
- The skills/expertise/capabilities of Shri Srinivasan as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly nomination of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

Except Shri Srinivasan Varadarajan, None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board of Directors recommends the Special Resolution for your approval.

Item No. 6:

Appointment of Shri Nidhu Saxena (DIN: 09691292) as Executive Director of the Bank

Shri Nidhu Saxena (DIN: 09691292) was appointed by the Govt. of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification eF.No. 4/2/2021-BO.I dated 21st October 2021 for a period of three years from the date of assumption of office i.e., 1st February 2022 or until further orders, whichever is earlier. Accordingly, Shri Nidhu Saxena

holds the position of Executive Director on the Board of the Bank effective 1st February 2022.

In terms of First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of directors on the Board of the Bank has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Nidhu Saxena as Executive Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Shri Nidhu Saxena is a Commerce graduate and also holds a Masters in Business Administration along with CAIIB qualification. Prior to his 25 years of banking experience, he had 8 years of corporate exposure in different sectors. He started his banking career at Bank of Baroda where he worked for 10 years after which he joined UCO Bank.

Throughout his banking career, he has worked at different locations and branch categories including specialised NRI, Retail branches and administrative offices including Central Office. He donned various roles including Branch Head, Zonal Head at Pune and Surat Zones of UCO Bank. Prior to joining Union Bank of India, he worked as General Manager and vertical head for Retail Credit, MSME and Bancassurance businesses at UCO Bank.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL
- Directorship in other listed entities: NIL
- Membership / Chairmanship in other listed entities: NIL
- Shareholding in Union Bank of India: NIL
- The skills/expertise/capabilities of Shri Nidhu as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

Except Shri Nidhu Saxena, None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board of Directors recommends the Ordinary Resolution for your approval.

Item No. 7:**Appointment of Ms. A. Manimekhalai (DIN: 08411575) as Managing Director and CEO of the Bank**

Ms. A. Manimekhalai (DIN: 08411575) was appointed by the Govt. of India as the Managing Director & CEO of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification eF.No. 4/4/2021-BO.I dated 3rd June 2022 for a period of three years from the date of assumption of office i.e., 3rd June 2022 or until further orders, whichever is earlier. Accordingly, Ms. A. Manimekhalai holds the position of Managing Director & CEO on the Board of the Bank effective 3rd June 2022.

In terms of First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of directors on the Board of the Bank has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Ms. A. Manimekhalai as Managing Director & CEO of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Ms. A. Manimekhalai holds Master of Business Administration (Marketing) from Bangalore University, and a Diploma in Human Resource Management from Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS), Mumbai. A beneficiary of various executive development programs at leading institutes of country, she is also a Certified Associate of Indian Institute of Bankers (CAIIB).

Ms. A. Manimekhalai is a seasoned Banker with experience of more than 3 decades. She started her career in erstwhile Vijaya Bank as an Officer in 1988 and rose successively as Branch Head, Regional Head and Functional Head of various Departments at Corporate Office. She was instrumental in devising & implementation of strategic policies covering core areas like strategic planning, setting organizational goals, growth strategies, action plans, compliance, internal control, etc.

Prior to joining Union Bank of India, Ms. A. Manimekhalai was an Executive Director at Canara Bank, wherein she oversaw strategic planning, credit & related matters, inspection, marketing and financial inclusion, State Level Lead Bank responsibilities and the functioning of Regional Rural Banks. She played a pivotal role in effecting successful amalgamation of Canara Bank and Syndicate Bank.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL
- Directorship in other listed entities: Director of General Insurance Corporation of India
- Membership / Chairmanship in other listed entities: Chairperson of Audit Committee and Stakeholders Relationship Committee of General Insurance Corporation of India
- Shareholding in Union Bank of India: NIL
- The skills/expertise/capabilities of Ms. A. Manimekhalai as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

Except Ms. A. Manimekhalai, None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board of Directors recommends the Ordinary Resolution for your approval.

Item No. 8:**Appointment of Shri Ramasubramanian S (DIN: 08747165) as Executive Director of the Bank**

Shri Ramasubramanian S (DIN: 08747165) was appointed by the Govt. of India as the Executive Director of the Bank under Section 9(3)(a) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, vide Government of India's Notification eF.No. 4/6/2021-BO.I dated 21st November 2022 for a period of three years from the date of assumption of office i.e., 21st November 2022 or until further orders, whichever is earlier. Accordingly, Shri Ramasubramanian S holds the position of Executive Director on the Board of the Bank effective 21st November 2022.

In terms of First Proviso to Regulation 17(1C) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the appointment of directors on the Board of the Bank has to be approved at the meeting of shareholders of the Bank.

Therefore, the approval of shareholders is sought for the appointment of Shri Ramasubramanian S as Executive Director of the Bank on the same terms and conditions as determined by the Government of India.

Prior to joining Union Bank of India, Shri Ramasubramanian S was Chief General Manager of Canara Bank. He has to his credit more than 25 years of rich experience in various facets of Banking like Corporate Credit, MSME/Retail Credit, International Credit and forex. He holds a Bachelor degree in Science along with CAIIB qualification.

Throughout his banking career, he has worked at different locations and branch categories including Prime Corporate Credit Wing, Large Corporate, Mid Corporate Branches and Hong Kong Branch of Canara Bank and administrative offices including Head Office.

He is one of the Top Executive Grade officers who underwent Leadership Development Strategy Program organized by Financial Services Institutions Bureau (erstwhile Banks Board Bureau). He was in the standing Committee for Corporate Credit of IBA. He is also nominated to participate in Kamath Committee on COVID related loan Restructuring. He is well versed in operations and administration equally.

Other particulars as per Regulation 36(3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 are as under:

- Relationship between directors inter-se: NIL
- Directorship in other listed entities: NIL
- Membership / Chairmanship in other listed entities: NIL

- Shareholding in Union Bank of India: NIL
- The skills/expertise/capabilities of Shri Ramasubramanian S as required in the context of business of the Bank are identified by the Government of India and accordingly appointment of the Director on the Board of the Bank is made by the Government of India.

Except Shri Ramasubramanian S, None of the Directors, Key Managerial Persons of the Bank and their relatives is in any way, interested or concerned in the Resolution.

The Board of Directors recommends the Ordinary Resolution for your approval.

By order of the Board of Directors
For UNION BANK OF INDIA

(S.K. Dash)
COMPANY SECRETARY

Place : Mumbai
Date: 23.06.2023